कुरुक्षेत्र

फरवरी, 1986 मूल्य : 1.50 रु०

केरल का कल्प वृक्ष

आज भी उत्तरी केरल के गांवों में शराब की दुकानों में कच्ची शराब नारियल के खोपरे (आवरण) से बने प्यालों में नापी और दी जाती है। केरलवासियों ने नारियल के ताड़ को कल्प-वृक्ष का नाम दिया है। नारियल के पेड़ का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता, और इसी पेड़ का एक हिस्सा है नारियल का खोपरा अर्थात् लकड़ी का वह ठोस आवरण जो नारियल के फल पर चढ़ा होता है।

वर्षों पहले जब कोई विशिष्ट अतिथि केरल आता था तो केरल के लोग उसे नारियल के खोपरे से बड़ी मेहनत तथा कारीगरी से बनाई गई शानदार लघु-पेटिकाएं भेंट में दिया करते थे। कोई बिरला ही जान पाता था कि यह बेहतरीन पेटिका किस चीज से बनी हुई है।

विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान तीसरा है। भारत में नारियल के बाग 11 लाख 10 हजार हैक्टेयर में फैले हुए हैं और उत्पादन 55.4 करोड़ नारियलों का है। पहले नारियल के खोपरों को फेंक दिया जाता था तथा गरीब लोग ईंधन के रूप में जलाने के लिए उठाकर उन्हें ले जाते थे। किन्तु यह सब कुछ अब बदल चुका है। अब कारीगरों के कुशल हाथ नारियल के रेशे (बालों) से बने आवरणों को सुन्दर मनमोहक वस्तुओं में बदल देते हैं।

परंपरागत रूप से नारियल के खोपरों का उपयोग बर्तनों तथा कड़छियों के रूप में किया जाता था। स्थानीय वाद्य-यंत्रों में भी इनका प्रयोग होता था।

किन्तु अब नारियल के खोपरे में भी आधुनिकीकरण का प्रवेश हो गया है। ऐसा मुख्यतः नारियल विकास बोर्ड के प्रयासों से हुआ है जो कारीगरों को नारियल के ताड़ के हिस्सों से कला-वस्तुओं का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। यद्यपि इस कला में लगे कारीगर केरल में हर जगह मिल जाएंगे तथापि ये लोग तीन जगहों में केन्द्रित हैं: वाइपीन द्वीप, थोड्डूपुजा तथा पट्टनड्डू। नारियल के खोखे से बने उत्पादन छोटे से बटन से लेकर महंगे चाय सेटों तक होते हैं। कप तथा प्लेटें, फूल-दान, फल रखने के कटोरे, लघु-पेटिकाएं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां तथा कई अन्य वस्तुएं नारियल के खोपरे से बनाई जाती हैं।

दुकान में सजी नारियल के खोपरे से बनी वस्तुएं

वाइपीन द्वीप का निवासी थॉमस एक अद्भुत कारीगर है। पिछले बीस वर्षों से वह इस कारोबार में लगा हुआ है। उसके परिवार के सभी सदस्य इस कला में निपुण हैं। इसके अलावा उसकी वर्कशॉप में आठ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

नारियल विकास बोर्ड एक प्रशिक्षित कारीगर को अपना खुद का

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 31 माघ – फाल्गुन 1907 अंक 4

इस अंक में — पृष्ठ संख्या

सूरज की रोशनी से जगमगाता बिन्दायका — 2
विनय कुमार

अनियंत्रित प्रजनन–सर्वनाश को आह्वान — 4
प्रवीण क्रांतिकारी

ग्रामीण बेरोजगारी बनाम शहरी मलिन बस्तियां — 6
डा० बद्री बिशाल त्रिपाठी

ग्राम खन्देवत से सीखें — 11
रमेश चन्द्र शर्मा

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बीस सूत्री कार्यक्रम — 13
राधेश्याम उपाध्याय

सौर-चूल्हा : ईंधन बचत का एक और उपाय — 15
श्याम मनोहर व्यास

चालीस गधों ने बदली गोंडा की किस्मत — 18

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और 20-सूत्री कार्यक्रम के साए में पलता राजस्थान — 19
प्रभात कुमार सिंधल

द्विजिभा (कहानी) — 22
सुदेश कुमार सिंह

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम–मासिक रिपोर्ट — 24
कांकेर क्षेत्र में उद्यानीकरण–सफलता मिली और दिलचस्पी बढ़ी — 26

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का नवीनीकरण — 27

उत्तरप्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम — 28
वेद प्रकाश गुप्त

गुणकारी गाजर — 29
अभय कुमार जैन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम–विसंगतियां एवं निराकरण — 30
अवध बिहारी चौधरी

गुमराह दोस्तों के नाम (कविता) — 32
राम कुमार आत्रेय "प्रभाकर"

'**कुरुक्षेत्र**' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'**कुरुक्षेत्र**' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) : आर० एस० मुंजाल

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : घनश्याम मीणा
केन्द्रीय पृष्ठ चित्र : बृजेन्द्र सिंह

सूरज की रोशनी से जगमगाता बिन्दायका

विनयकुमार

वर्ष 1984 के शुरु में जब झोटवाड़ा पंचायत समिति के अधिकारियों ने बिन्दायका गांव में सौर ऊर्जा की बातचीत शुरु की तो लोगों को एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ था कि सूरज की किरणों से भी कोई बिजली जल पाएगी। कुछ ने माना भी कि बिजली जल तो सकती है पर कहा कि दूसरी बिजली की तरह घरेलू काम के लिए लम्बे अर्से तक उपलब्ध शायद ही रह पाए। लेकिन राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टस लि० (रील) के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने यह कर दिखाया। गांववासियों के लिए यह वैज्ञानिक चमत्कार एक अजीब सी उत्सुकता जगाने वाला था। अब सौर ऊर्जा से जगमगाते गाँव को वर्ष से ऊपर हो गया तो आस पास के अन्य लोग भी इस दिशा में आगे आने को उत्सुक नजर आने लगे हैं, भला वे ही क्यों पीछे रहें इस सस्ती बिजली से जिसके आँखों में चुभने और बिगड़ने पर आँख मिचौनी सी होने का खतरा भी नहीं हो।

सफल प्रायोगिक शुरुआत

''बिन्दायका में तो सूरज की रोशनी से रातें जगमगानी ही थी, साब।'' —एक ग्रामीण छात्र सूरतसिह ने कहा तो मैंने एक प्रश्न-वाचक निगाह गड़ाते हुए पूछा:— ''क्यों ऐसी क्या बात थी जो होनी ही थी। यह तो प्रयोग था। असफल हो जाता तो।''

''नहीं साब जी, असफल नहीं होता।''

''क्यों नहीं, होता।''

''अजी गांव ही ऐसा चुना था। बिन्दायका हमारे प्रथम पूज्य देवता गणेश जी यानी विनायक जी के नाम पर बसा गांव है। बिन्दायका विनायक का ही तो अपभ्रंश है।''—उसने बड़ी आस्था पूर्वक कहा।

''चलो विनायक जी के गांव में ही सही प्रायोगिक पहल का श्री गणेश तो सचमुच सुखद ही रहा।''—मैं बोला था।

असल में जयपुर जिले की झोटवाड़ा पंचायत समिति के विन्दायका गांव में 20 सितम्बर 1984 के बाद से ही व्यापक हलचल शुरु हो चुकी थी। कारण था कि 'रील' के इंजीनियर वहां पर 20 स्थानों पर बिजली लगाने के लिए खम्भे गाड़ने के काम में लगे हुए थे। देहाती लोगों को सरकार को कोसने का बहाना मिल गया था। सब कहते थे—''बावरी है आ सरकार भी। सूरज सूँ बीजरी जलती तो कुणं कारखानां लगाता।''

उन्हीं दिनों बिन्दायका में प्रवेश करते हुए एक गली के मोड़ पर चाय की छोटी सी थड़ी लगाये हुए बैठे श्रवण लाल से चर्चा चली थी तो वह भी अविश्वास से इस प्रयोग की मखौल उड़ाने लगा था। चाय सुड़कते दो तीन देहातियों ने कहा था:—''अजी बिजुरी का खम्भा तो बैंधा ही लाग ग्या है पण लाइन तो अबार तक भी खींची ही कौनी है जी। अशा में बिजुरी कशाण आवगी।''

किन्तु ग्रामीणों की आलोचनाओं से बेखबर बने रह कर 'रील' ने जब बिन्दायका की अंधेरी रातों को दूधिया प्रकाश से जगमगा दिया तो पूरे गांम की महिलाओं ने अविश्वास पूर्वक एक दूसरे को इस अजूबे के प्रति आश्वस्त किया।

सूरज की किरणों से ऊर्जा ग्रहण कर बिजली की रोशनी से जगमगाता बिन्दायका में अनुसूचित जाति के लोगों का बाहुल्य है। इसकी शुरुआत के दिन कुम्हारों के चौक में लगे खम्भों पर सौर ऊर्जा से जलने वाली ट्यूब लाइटों को देखने के लिए दिन ढलते ही पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। जब सांझ टनटनाती घड़ी की घण्टी सवा छह बजा चुकी तो एक एक करके गाँव की ट्यूब लाइटें जगमगा उठीं। इसके तुरन्त बाद गाँव के लोग अपने अपने मोहल्लों की तरफ दौड़ पड़े थे। सब की उत्सुकता तब यह थी कि हमारे मुहल्ले की बिजली जली है या नहीं। हर खम्भे पर लगी ट्यूब लाइटों की रोशनी ने गांव वालों को चकित कर दिदा। 'रील' के महा प्रबन्धक श्री के.बी. अग्रवाल तथा विकास अधिकारी खान ने ग्रामवासियों को समझाया था कि अब ग्राम की उन्नति होगी तो उनके ही बलबूते से होगी। इसलिए जरुरी है कि वे इस सम्पत्ति को अपनी सांझा सम्पत्ति मानकर इसकी सुरक्षा करें। सूर्य भगवान उन्हें दिन में धूप और गर्मी बिना भेदभाव के देते आ रहे हैं, अब वे रोशनी भी उसी समाजवादी भावना से बांटेंगे।

कैसे होता है संचालन

इस 'सौर ऊर्जा से विद्युत' योजना के लिए गाँव में 20 स्थानों पर खम्भे लगाये गए हैं। खम्भों की ऊंचाई सिर्फ साढ़े दस फुट के करीब है। इनके ऊपर के छोर पर सौर ऊर्जा पैनल लगा हुआ है। इसका कनेक्शन नीचे लोहे के बक्से में सुरक्षित रखी गई 12 बोल्ट 120 एम्पीयर की बैट्री से है। सूरज की रोशनी से ऊर्जा पैनल ऊर्जा ग्रहण करके बैट्री को चालू कर देती है। इस बैट्री में 10 दिन तक के लिए पर्याप्त ऊर्जा सुरक्षित बनाये रखने की क्षमता है। इस तरह कभी सूर्य की रोशनी बादलों के कारण नहीं भी मिले तो भी रोशनी के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। इस बैट्री के पास ही एक स्वचालिता स्विच है। यह इलैक्ट्रानिक स्विच ही निर्धारित समय पर खम्भे पर लगी हुई 20 वाट की ट्यूब लाइट को जला दिया करता है। इसी तरह निर्धारित समय पर यह स्वचालित स्विच बिजली को बन्द भी कर देता है।

सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली इस ट्यूब लाइट में एक खम्भा, सौर ऊर्जा पैनल, ट्यूब लाइट, नीचे बैट्री तथा एक स्वचालित स्विच बाक्स होता है। सबसे मजेदार तथ्य यह भी है कि इस पर बार-बार खर्चा नहीं करना पड़ता है। बिजली की आँख मिचौनी और ट्यूब लाइट के फ्यूज होने का डर जरा भी नहीं रहता है। हां सौर उर्जा पैनल और ट्यूब लाइट पर धूल जम जाए तो उसे 15 या 20 दिन के अन्तर से सावधानी से साफ कर देना चाहिए। सस्ती यह इतनी है कि सुनते हैं लोग तो चकित रह जाते हैं। सिर्फ 2 पैसे प्रति यूनिट खर्च आता है। पूरे वर्ष बिना किसी रोक टोक के यह चलती आ रही है इससे लोगों में सूर्य ऊर्जा के प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि इस परियोजना के रख रखाव पर कोई विशेष खर्च नहीं है, तकनीक नहीं है इसलिए इसे उसी दिन ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया था। 'रील' के तकनीक विशेषज्ञ तथा इंजीनियर इसका समय समय पर जांच करते रहा करेंगे। हर खम्भे पर 8 हजार का खर्च आता है। इसमें से 3 हजार रुपए प्रत्येक खम्भे के लिए राज्य सरकार को अंश दान देना पड़ता है, शेष 5 हजार की राशि भारत सरकार के गाजियाबाद स्थित सैण्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि० ने। सौर ऊर्जा पैनल और प्रयोग ग्रामीण अभ्युदय की दिशा में देश में एक नई चेतना लाने वाला साबित होगा।

विकास की व्यापक संभावनाएं

सौर ऊर्जा के ग्रामीण जीवन में समुचित उपयोग से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में गुणात्तक वृद्धि होगी। विकास की नई संभावनाएं बढ़ेगीं। राजस्थान में जहां सूर्य ऊर्जा करीब करीब वर्ष में औसतन 10 माह मिलती है, यह बड़ी ही लाभदायक रहेगी। दूरस्थ गाँवों, पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्र की ढ़ाणियों में सौर ऊर्जा से बिजली मिलने लगेगी तो विकास के नये क्षितिज खुलेंगे। दूसरी बिजली वहाँ के लिए महंगी तो है ही, आसानी से पहुंचाने में भी प्राकृतिक विपदाएं आड़े आती हैं।

कुदरत के इस तोहफे को 'रील' के महाप्रबन्धक श्री के.वी. अग्रवाल कुँओं पर वाटर पम्प चलाने के लिए सुलभ करवाकर सिचाई में भी नयी उन्नति के द्वार खोलेंगे। राजस्थान के भौगोलिक परिवेश को देखते हुए ग्रामीण पुनरनिर्माण में यह उपलब्धि स्पर्धा करने योग्य है।□

बी-116 विजयपथ
तिलक नगर
जयपुर-302004

केरल का कल्प वृक्ष....... (आवरण पृष्ठ 1 का शेष)

व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5000 रु० तक की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सरकार के एम्पोरियम तथा कलाकृति विक्रय केन्द्र इन कला वस्तुओं की बिक्री के माध्यम हैं।

नारियल के रेशे, नारियल के पत्ते तथा नारियल के पत्तों की चापें भी उपयोगी वस्तुएं बनाने के काम आती हैं। नारियल के पत्ते की चापों से बने मछली पकड़ने के जालों तथा टोकरियों की तरह की वस्तुओं की भी भारी मांग है।

निश्चय ही नारियल का ताड़ कल्प वृक्ष कहला सकने योग्य है और केरलवासियों के लिए शायद सदैव रहेगा। □

अनियंत्रित प्रजनन-सर्वनाश को आह्वान

प्रवीण क्रान्तिकारी

जनसंख्या वृद्धि की विभीषिका की ओर संसार के विचारशील लोगों का ध्यान विगत शताब्दी से ही आकर्षित हो गया था और उन्होंने इस खतरे की ओर विश्व नेताओं, सरकारों तथा सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित किया था। उनका कहना था कि समय रहते जनसंख्या वृद्धि की विभीषिका से निपटने का उपाय किया जाय अन्यथा समय निकल जाने पर कुछ करते धरते न बन पड़ेगा और केवल पश्चाताप ही हाथ रह जाएगा।

इंगलैण्ड के अर्थशास्त्री थामस माल्थस ने इस विषय में सप्रमाण बहुत कुछ कहा है। विगत शताब्दी में फ्राम प्लास, नार्म डायस्टेले, ऐने वेनेट, चार्ल थ्रेडले, मेरी स्टोप्स प्रभुति विचारकों ने जोरदार प्रमाणों के साथ जनसंख्या नियन्त्रण की आवश्यकता सिद्ध की और इंगलैण्ड की ही नहीं समस्त संसार की जनता ने उन विचारों को ध्यान पूर्वक सुना और उस आवश्यकता को अनुभव किया।

वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में अमेरिका में मार्डरेट सेंगर अब्राम्ह स्टोन ने इस आवश्यकता को भली-भांति सिद्ध किया। भारत की अपेक्षा पांच गुनी भूमि और अत्यन्त स्वल्प जनसंख्या के कारण यों अमेरिका की आर्थिक समस्या वैसी नहीं थी जिसके आधार पर परिवार नियन्त्रण की बात सोचनी पड़े, पर व्यक्तिगत, पारिवारिक और स्वयं शिशुओं के विकास पर इसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है उसे देखते हुए यह भली-भांति स्वीकार किया गया है कि अवांछनीय गति से बढ़ता हुआ प्रजनन केवल संकट ही उत्पन्न कर सकता है।

विलियम गोडविन, सर वाल्टर रेले, पो० जीड, प्रो० वेर्डे बिटरेणु प्रभृति कितने ही सांख्यकी विज्ञों का माल्थस से उन उपायों के बारे में मतभेद है जिनके आधार पर जनसंख्या नियन्त्रण किया जाना चाहिए, पर वे सभी एक स्वर से इस बात का समर्थन करते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या इस युग की सबसे बड़ी समस्या है और यदि उसे हल न किया गया तो अपनी मूर्खता के दर्ण्ड स्वरूप ही मनुष्य जाति को रोते-बिलखते अपने हाथों आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ेगा। अधिक उत्पादन और न्यायोचित वितरण से राहत मिलने की बात पर जोर देने वाले भी यह स्वीकार करते हैं कि यह उपाय सामयिक संकट हलका कर सकते हैं, पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम यथावत चलने देना तो उन्हें भी स्वीकार नहीं।

बढ़ती हुई जनसंख्या का एक बड़ा दोष है कि प्राकृतिक सुविधा के अभाव में तथा खाद्य पदार्थों में जीवन तत्व घटते जाने के कारण पीढ़ियां दुर्बल होती चली जाती है, वे रुग्ण रहती हैं और काम करने की क्षमता घटती चली जाती है। फलतः हर स्तर का उत्पादन घटता है। शारीरिक और मानसिक बलिस्ठता घटने पर कामों का स्तर तथा परिणाम घटेगा ही। भीमकाय स्वचालित यन्त्र जन शक्ति की आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं, पर उनसे बेकारी बेहिसाब बढ़ती है जो और भी अधिक घातक है।

पशुओं को जीवित न रखा जा सकेगा ऐसी दशा में दूध और मांस की उपलब्धता भी असंभव हो जाएगी। समुद्र पर भी जब धावा पूरे वेग से बोला जायेगा तो बेचारे जल-जन्तु कब तक अपना अस्तित्व बनाये रह सकेंगे। उन्हें भी आधी चौथाई शताब्दी के अन्दर अपना अस्तित्व खो बैठने के लिए विवश होना पड़ेगा। बढ़ता हुवा जल-प्रदूषण अभी भी जल-जन्तुओं को समाप्त करने में लगा हुआ है। कल-कारखानों का विषाक्त जल नदी, नालों से लेकर समुद्री जल तक को विषैला किये दे रहा है, जल-जन्तु बेहिसाब मर रहे हैं। अगले दिनों औद्योगिक प्रगति के साथ कल-कारखाने बढ़ेगें, जल-प्रदूषण का निर्वाध क्रम चलेगा तब जल-जन्तुओं पर गुजारा करने की बात भी मृगमरीचिका बनकर ही रह जाएगी।

इंगलैण्ड के अर्थशास्त्री थामस राबर्ट माल्थस ने विश्व जनसंख्या वृद्धि की समस्या का लगभग तीस वर्ष तक गहन अध्ययन किया और वे इस शोध के सन्दर्भ में विश्व के अनेक देशों में गये। उसने अपने शोध प्रबन्धों में यह प्रतिपादित किया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की स्वाभाविक गति यदि नियन्त्रित न की जाय तो खाद्य सामग्री के अभाव में बेमौत मरने की परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। पृथ्वी पर जितने लोगों के भरण-पोषण की, आवास प्रवास की जितनी क्षमता है अब वह पूर्ण हो गई। एक सीमा तक पहुंचने के बाद खाद्य उत्पादन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। रासायनिक खादों एवं वैज्ञानिक उपकरणों का कितना ही उपयोग क्यों न किया जाए? धरती की स्वाभाविक क्षमता में अत्यधिक वृद्धि नहीं हो सकती। बिल्ली को कितना ही दूध क्यों न पिलाया जाय वह एक सीमा तक ही मोटी होगी, हथनी की ऊंचाई तक पहुंचने का स्वप्न वह कभी भी साकार न कर सकेगी। जनसंख्या की बढ़ोतरी "गुणात्मक गति" से होती है। वह 1,2,4,8,16,32 के क्रम से बढ़ती है। जबकि खाद्य सामग्री को केवल "अंक गणित

से ही बढ़ाया जा सकता है। वह 1, 2, 3, 4, 5 क्रम से ही बढ़ेगी। यदि 25 वर्षों तक दोनों की वृद्धि अपने ढंग से बढ़ती रहने दी जाय तो जनसंख्या दूनी हो जायगी जबकि खाद्योन्नति का परिणाम सवाया ही हो सकेगा। तीन चौथाई जनसंख्या को या तो दूसरों के ग्रास छीनने पड़ेंगे या भूखा मरना पड़ेगा। भूतकाल में धरती की क्षमता बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण करने जितनी बनी रही, पर अब उसमें भावी संभावनाओं का सामना करने की क्षमता दीखती नहीं।

समुद्र से जल जीव, वनस्पतियां तथा पशु-पक्षियों का मांस प्राप्त करने के प्रयास भी एक सीमा तक ही उस आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे। मांस के लिए पाले जाने वाले जानवारों के लिए चारा तो चाहिए ही। भूमि की एक सीमा जब लोगों के निवास-प्रवास की अन्न की आवश्यकता ही पूरा नहीं कर पाती तो इस मांस या दूध के लिए पाले जाने वाले पशुओं के लिए निवास तथा चारे के लिए भूमि कहां से आयेगी? अर्थशास्त्री बताते हैं कि अगले दिनों पशुओं और मनुष्यों में प्रतिद्वन्दता होगी। कौन जीवित रहे इस संघर्ष में पशु हार जायगा और भूमि को पशुओं के उपयोग से छीनकर मनुष्यों के लिए प्रयुक्त किया जायगा। अन्न का भूसा तथा घास, कागज, काष्ठ जैसी सामग्री बनाने में खप जाएगा।

विवाहित जीवन का मूल प्रयोजन दो समान स्थिति के साथियों का मिलकर जीवनोद्देश्य की दिशा में ठीक तरह गतिशील होने की सुविधा प्राप्त करना है। भिन्न लिंग के सहयोग प्रकृति प्रेरित आकर्षण की पूर्ति भी करते हैं और उसमें भावनात्मक तृप्ति भी मिलती है। अस्तु जब शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुविधा हो तब विवाह के लिए उपयुक्त साथी ढूंढ लिया जा सकता है, किन्तु विवाह की सफलता प्रजनन के साथ नहीं जोड़ी जानी चाहिए। सन्तान तभी उत्पन्न की जाय जब उसकी जिम्मेदारीयां उठा सकने की पूर्व तैयारी भली प्रकार कर ली गई हो। जब तक ऐसी स्थिति न आये तब तक विवाहिता युग्मों को भी सन्तानोत्पादन से बचना चाहिए।

विवाह योग्य युवकों के लिए भी यही उचित है कि जब वे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ सन्तोनोत्पादन के योग्य परिपुष्ट हो जायं और आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े हो जायं तभी विवाह की स्वीकृति अभिभावकों को दें। यदि मोहवश समय से पूर्व विवाह के लिए दबाव डाला जा रहा हो तो उसके लिए नम्रतापूर्वक किन्तु साथ ही अत्यन्त दृढ़ता के साथ इन्कार ही कर देना चाहिए। इसमें न तो अवज्ञा की बात है और न अशिष्टता की।

जो लोग विवाह की आवश्यकता अनुभव करें उन्हें प्रसन्नतापूर्वक वैसा करना चाहिए। घर के लोगों को उनकी रूचि के अनुरुप साथी उपलब्ध कराने में सहायता करनी चाहिए, पर इसके लिए किसी को अपनी सन्तान पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यह दबाव अनैतिक, अदूदर्शिता पूर्ण, असामाजिक और अवांछनीय है। कोई बालक कुमार्गगामी हो रहा हो तो उसे सुधारने के लिए दबाव देने का औचित्य है। पर यदि किसी लड़की या लड़के की इच्छा विवाह की नहीं है, वह वैवाहिक उत्तरदायित्वों को निबाहने में उस समय अपने को असमर्थ पाता है तो उचित यही है कि उसकी इच्छा को जीवनयापन करने की रीति-नीति को मान्यता दी जाय और उसे अपने ढंग से अपना मार्ग चुनने दिया जाय। विवाह कौन कब किस उम्र या स्थिति में करे, इसके सम्बन्ध में हर किसी को स्वतन्त्रता होनी चाहिए। गलत साथी के चुनाव का खतरा टाला जाना चाहिए, पर अविवाहित रहने की यदि किसी बालक की इच्छा है तो अभिभावकों के लिए यह उचित है कि उस सन्दर्भ में किसी प्रकार का दबाव न डालें। कारण कि इसमें अनौचित्य जैसी कोई बात नहीं है, वरन् सच पूछा जाय तो इस प्रकार का निर्णय वैयक्तिक एवं सामाजिक सुविधाजनक ही है।

अपने समाज में रुढ़िवाद अभिभावक इस बात के लिए अत्यधिक उत्सुक पाये जाते हैं कि वे अपने बालकों का विवाह जितनी जल्दी हो सके निपटा कर निश्चित हो जायं। इसमें वे धन और श्रम भी बहुत खर्च करते हैं। यदि वह धन या श्रम उन बालकों की शारीरिक, मानसिक उन्नति के लिए खर्च किया जाय तो विवाह की अपेक्षा उन्हें हजार गुना अधिक लाभान्वित किया जा सकता है। यह सूझ-बूझ न जाने क्यों अपने समाज में उठती ही नहीं है।

व्यभिचार अविवाहितों में बढ़ता है विवाहितों में नहीं, यह आशंका व्यर्थ है। व्यभिचार और सदाचार मानसिक स्थिति पर निर्भर है। विवाहित हो जाने पर इस कुकर्म पर कोई बन्धन नहीं बंधता वरन् अविवाहितों के व्यभिचारों की अपेक्षा वह और भी अधिक निरापद हो जाता है। यदि अन्वेषण किया जाय तो इस सन्दर्भ में अविवाहितों की अपेक्षा विवाहित ही अधिक दुराचरण अपनाये हुए पाये जायेंगे। मर्यादाओं का पालन यदि सीखा और सिखाया जाय तो अविवाहित रहना किसी भी दृष्टि से व्यक्ति और समाज के लिए अहितक सिद्ध नहीं हो सकता। हर किसी का विवाह अवश्य ही होना चाहिए, आजकल जो यह मूढ मान्सिकता प्रचलित है उसके पीछे विवेकशीलता नहीं वरन् रुढ़िवादिता की ही प्रधानता रहती है। हमारे समाज में कन्याओं को किशोरावस्था में प्रवेश करते-करते कुहराम मच जाता है और हर कोई उनके विवाह की चिन्ता करने लगता है। लड़के बीस-पच्चीस वर्ष तक पढ़ते भी रह सकते हैं और अविवाहित भी रह सकते हैं, पर लड़कियों के लिए इतनी उम्र भारी पड़ती है। लड़की और लड़कों के बीच इस प्रकार का भेदभाव किया जाना किसी भी प्रकार तर्क संगत नहीं है। इसे रुढ़िवादी पूर्वग्रह के ढर्रे पर लुढ़कने के अतिरिक्त और किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अविवाहित जीवन के खतरे अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर हमने अपने मस्तिष्क में जमा लिये हैं। यदि विश्लेषण किया जाय तो वे आशंकायें बहुत अंशों में निरर्थक और निर्मूल ही प्रतीत होंगी। □

कचहरी चौक,
सुनेल-326513 (राज०)

ग्रामीण बेरोजगारी

बनाम

शहरी मलिन बस्तियां

इलाहाबाद की मलिन बस्तियों का एक अध्ययन

डा० बद्री बिशाल त्रिपाठी

अधिकांश मलिन बस्तियों के सृजन का कारण जनसंख्या का गांव से नगरों की ओर होने वाला बहाव है। अधिकांश ने गांव इस कारण छोड़ा कि वहां वे अपने जीवन की अनिवार्यताएं भी पूरी करने में असमर्थ थे। गांवों में असुरक्षा और उचित सम्मान की कमी के वातारण के कारण भी अनेक लोग गांवों से चले जाते हैं। उनका यह विश्वास है कि नगर में आय प्राप्ति की संभावनाएं अधिक है साथ ही वहां सुरक्षा की समस्या भी विकट नहीं है और अपमान की तीव्रता का भी ह्रास हो जाता है। शहर में वे अपनी मर्जी के मालिक जो बन जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी बहुविध है। वहां अनिवार्यताओं की आपूर्ति प्रवसन को प्रश्रय देती है। जिसके परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण समाज के सबसे कमजोर वर्ग भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति व सुरक्षा एवं सम्मान हेतु नगरों की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए मलिन बस्तियों के उद्गम के मूल स्थान ग्रामीण क्षेत्र को अधिक शक्य बनाना होगा। गांव के लोगों को गांव में ही बसाने की अधिक आवश्यकता है। वहां सुरक्षा व सम्मान का वातारण बनाने की जरूरत है। अर्थ रचना को ग्रामाधारित और ग्रामोन्मुखी करना होगा। जब तक अर्थ रचना सर्वांश में ग्रामाधारित न होगी तब तक अर्थव्यवस्था का उक्त चरित्र नहीं बदल सकता है। नगरों की ओर बहाव बना रहेगा और उपचारात्मक क्रियाओं के बाद भी मलिन बस्तियां बनती रहेंगी।

आज भारत की सर्वाधिक गंभीर समस्या इसके व्यापक जनसमूह में व्याप्त बेरोजगारी और तदजन्य गरीबी की है। नियोजन काल में देश के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में भौतिक और गुणात्मक प्रगति के बावजूद यहां का व्यापक जनसमूह अत्यन्त अभावग्रस्त है। उनके पास न तो सम्यक वस्त्र व आवास की सुविधा है और न ही संतुलित भोजन उपलब्ध है। यह अनुमान किया जाता है कि निश्चित रूप से नियोजन काल में गरीबों की संख्या बढ़ी है। यदि इस वृद्धिमान पक्ष पर ध्यान न दिया जाये तो भी योजना आयोग का यह अनुमान कम महत्वपूर्ण नहीं है कि देश की लगभग 49 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। यह देश की निरपेक्ष गरीबी के भयावह स्तर का सूचक है। यदि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया के अब तक की अवधि में आर्थिक संवृद्धि के ऊंचे

प्रतिमानों की प्राप्ति को नहीं नकारा जा सकता तो साथ-साथ गरीबी की विद्यमानता को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह विरोधाभास युक्त स्थिति है जिसमें गरीबी और संवृद्धि का अस्तित्व साथ-साथ विद्यमान है।

व्यय योग्य आय की कमी के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का जीवन स्तर अत्यन्त नीचा है। इस वर्ग के सीमान्त लोगों का जीवन अधिक कष्टप्रद होता है। इनको अल्पपोषण, कुपोषण और अनिवार्यताओं की स्वल्पता का सतत शिकार होना पड़ता है। अनेकों आधुनिक विकास जन्य वस्तु इनके लिए प्रयोग की नहीं अपितु मात्र देखने और सुनने की वस्तुएं बनी है। इन गरीबों के पास आवास के नाम पर या तो विरासतन प्राप्त फूस की झोपड़ी या सड़क का किनारा, पेड़ की छांव व धर्मशालायें हैं। व्यापक पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रसारित होने पर भी औषधालयों तक उनकी पहुंच नगण्य है। उनमें अधिकांश लोगों की बीमारियां या तो अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया में ठीक हो जाती हैं या उनके शरीरगत रोग निरोधक तत्व इनके निदान में सहायक होते हैं। उपचार संरचना के प्रमुख संघटक तत्व के रूप में वे परम्परागत उपचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं। इन गरीबों की कोटि में ग्रामीण क्षेत्र की समस्त भ्रमणशील जनसंख्या, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमान्त कृषक और अधिकांश लघु कृषक हैं। परंपरागत सेवा कार्य करने वाली जातियाँ भी अत्यन्त अभाव और कठिनाई का जीवन व्यतीत करती हैं इन सबकी स्थिति में सुधार की समस्या नियोजित विकास प्रक्रिया के समक्ष चुनौती बनी है। यह भयावहता ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अधिक है कि सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि भारत की गरीबी मुख्यतः ग्रामीण गरीबी है।

ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी और अभाव का आधिक्य नगरों की ओर प्रवाहित होता है। यह आधिक्य बलात नगरों की ओर आता है और नगरों में झुग्गी झोपड़ियों और गंदी बस्तियों का सृजन करता है। यह नगरीय जीवन का सर्वाधिक विकृत रूप है। कालक्रमानुसार गंदी मलिन बस्तियां नगरीय व्यवस्था की अनिवार्य अंग बनती जा रही है। यह अनुमान किया जाता है कि भारत में नगरों की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है। यह अनुमान किया जाता है कि 1985 के अंत तक मलिन बस्तियों में रहने वाली इस जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर 33.1 हो जाएगा। बंबई की झोपड़ पट्टी, कलकत्ता की बस्ती, मद्रास की चेरिस, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी आदि इस सामाजिक बुराई के ज्वलंत उदाहरण हैं जो किसी भी सभ्य कहलाने वाले समाज के लिए कलंकवत है। इस प्रकार की मलिन बस्तियां भारत में रेलवे स्टेशनों के निकट, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बस्तियों के निकट एवं नालों व नदियों के किनारे स्थित है। इनके अतिरिक्त मलिन बस्तियों के सृजन, अस्तित्व और वृद्धि की प्रवृत्ति उन समस्त स्थानों के प्रति होती है जहां इन नगरीय गरीबों को निःशुल्क भू-क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। इन मलिन बस्तियों का सीलन युक्त, प्रकाश रहित, गैर-हवादार, फूस व खपरैल की झोपड़ियां, जिन्हें सामान्यतः झुग्गी झोपड़ियां कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए सर्वथा हानिकर होती है। वे सामान्यतः नगर व मुहल्ले के उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो वहां के अत्यन्त निचले भाग हैं और जहां सामान्य नागरिक सुविधाओं की भी आपूर्ति नहीं हो पाती है। कहीं-कहीं तो इन मलिन बस्तियों के निवासियों के पास खुली जगहें हैं पर वह भी नगरीय भूमि का अवैधानिक अधिग्रहण होता है। मलिन बस्तियां सीलनयुक्त मकान, गंदगी और बीमारी, सघनता और गरीबी, अशिक्षा और शोषण की पर्यायवाची बन गयी है इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वहां के लोग नगरीय समाज में कृपा और प्रेमपात्र न रहकर अपमानिक होते हुए रहते हैं। वे लोग अप्रशिक्षित श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। उनमें बहुत से बेकार सामान यथा रद्दी कागज, टूटा फूटा कांच, पुराने टिन, प्लास्टिक के पुराने सामान, पुराना लोहा आदि बीनकर व खरीद बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। कुछ ऐसी क्रियाओं से भी अपनी आजीविका कमाते हैं जो सामाजिक दृष्टि से हेय हैं। प्रस्तुत विश्लेषण और निष्कर्ष इलाहाबाद नगर की विभिन्न मलिन बस्तियों के भ्रमण और वहां के निवासियों से बातचीत और निकट अवलोकन के आधार से किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बड़े और महत्वपूर्ण नगरों में इलाहाबाद का विशेष स्थान है। गंगा और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर स्थित इलाहाबाद (प्रयाग) नगर की महत्ता का उल्लेख अति प्राचीन धर्मग्रन्थों, यहां तक कि पुराणों में भी किया गया है। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में इलाहाबाद को विशिष्ट राजनैतिक महत्व मिला। इलाहाबाद के किले का निर्माण हो जाने के बाद अकबर ने जौनपुर के स्थान पर इलाहाबाद को प्रदेश की राजधानी बनाया। 1778 में इलाहाबाद का किला अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया और अंग्रेजों ने 1834 में आगरा के स्थान पर इसे उत्तरी-पूर्वी प्रदेश की राजधानी बनाया। राजधानी बनने के बाद नगर में विभिन्न क्रियाकलाप बढ़े, जनसंख्या बढ़ी और विभिन्न आवासीय कार्यालयों के भवन बने। सैनिक दृष्टिकोण से नगर की स्थिति अनुकूल होने के कारण यहां सैनिक गतिविधियां भी बढ़ीं। नगर में 1868 में उच्च न्यायालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होने से जनसंख्या का दबाव और आवासों की मांग बढ़ी। 1937 में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाया गया। इससे नगर की गुणात्मक वृद्धि का पक्ष हतोत्साहित हुआ। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इलाहाबाद भारत के अत्यन्त प्राचीन नगरों में है और धार्मिक महत्व के साथ-साथ इस नगर को जैसे-जैसे राजनैतिक और सैनिक महत्व मिलता गया वैसे-वैसे इसकी जनसंख्या क्रमशः बढ़ती गयी। हाल के वर्षों में विविध प्रशासनिक कार्यालयों और यमुनापार के क्षेत्र नैनी में उद्योग की संख्या बढ़ने के कारण नगर की कुल जनसंख्या तेजी से बढ़ती गयी। तालिका-1 में इलाहाबाद नगर की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति दिखायी गयी है।

तालिका-1

इलाहाबाद नगर की कुल जनसंख्या

वर्ष	कुल जनसंख्या	प्रतिशत परिवर्तन
1901	172033	–1.8
1911	171697	–0.1
1921	157222	–8.4
1931	183914	16.9
1941	260630	41.7
1951	332295	27.5
1961	430730	29.3
1971	513036	19.1
1981	642430	25.2

स्रोत: जिला जनगणना हैंडबुक 1971 तथा 1981

उपरोक्त तालिका से यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इलाहाबाद की जनसंख्या अत्यन्त तेजी से बढ़ी है। 1901 से 1951 के 50 वर्षों की अवधि में नगर की जनसंख्या बढ़कर दुगुनी हुई थी। इसके बाद 1951 से 1981 की अवधि के केवल 30 वर्षों में नगर की जनसंख्या बढ़कर दुगुनी हो गयीं। यद्यपि इस जनसंख्या वृद्धि का एक कारण नगर महापालिका क्षेत्र में होने वाली वृद्धि रही है। परन्तु मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र की और होने वाला बहाव रहा है। नगर में जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप आवासीय मकानों की संख्या नहीं बढ़ी। फलत: आवासीय मकानों की मांग और पूर्ति में असंतुलन होता गया। गांव से जो जनसंख्या नगर की ओर आई उसमें से अधिकांश अपने कमजोर आर्थिक आधार के कारण भवन निर्माण करने में असमर्थ थे। इनसे कमरों और मकानों के किराये बढ़ते गये। गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने और तीन और से इन नदियों से घिरे होने के कारण इलाहाबाद नगर की भौगोलिक सीमा में वृद्धि की संभावना अधिक नहीं है। फलत: आवासीय भूमियों की कीमतें बढ़ती गयी जो सामान्य लोगों की क्रय सीमा से बाहर होती गई। राजकीय अभिकरणों के माध्यम से आवासीय मकानों की पूर्ति अत्यन्त कम हुई। हाल के वर्षों में राजकीय अभिकरण यथा इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, आवास विकास परिषद ने जो आवास निम्न और कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए बनाये हैं उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत अधिक आय वर्ग के लोगों ने अधिग्रहण कर लिये। इन सबका संग्रथित परिणाम यह होता गया कि आज नगर की जनसंख्या का एक प्रमुख भाग मलिन बस्तियों के रूप में विद्यमान है।

मलिन बस्तियां और उनके क्रियाकलाप

इलाहाबाद नगर महापालिका क्षेत्र की भौगोलिक सीमा 81.15 वर्ग किलोमीटर है। इलाहाबाद में मलिन बस्तियां किसी विशेष क्षेत्र में नहीं अपितु नगर के विभिन्न भागों में पायी जाती है। यहां कम घने बसे क्षेत्रों से लेकर अधिक घने बसे क्षेत्रों तक मलिन बस्तियों का अस्तित्व पाया जाता है। इलाहाबाद नगर महापालिका सीमा के भीतर नगर महापालिका द्वारा पहिचान की गयी कुल 41 मलिन बस्तियां हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य छोटी-छोटी मलिन बस्तियां हैं। कई बस्तियां तो अकस्मात बन जाती हैं। यहां मलिन बस्तियों का संकेन्द्रण प्रमुख रूप से नगर के पूर्वी और उत्तरी भाग में है। यद्यपि नगर के मध्य भाग में भी मलिन बस्तियां पाई जाती हैं। परन्तु पूर्वत: सघन बसे होने के कारण मलिन बस्तियों की वृद्धि की संभावना अत्यन्त कम है। नगर का मध्य भाग हीवेट रोड और जी० टी० रोड पर स्थित इसी प्रकृति का है। नगर महापालिका इलाहाबाद द्वारा पहिचान की गई प्रमुख मलिन बस्तियां फाफामऊ, पूरागड़रिया, चिरला, गोविन्दपुर, लालाकी सराय, सलोरी, चान्दपुर, ऊंटखाना, ढरहरिया, सदियाबाद, करनपुर, छोटा बघाड़ा, हासिमपुर, वक्सी कला, मटियारा, पुरादलेल, छीतपुर, अलोपीबारा, मलाकराज, नार्थमलाका, कुरेशीपुर, तालाब नवल राय, गड़हीसराय, सदियापुर, मीरापुर, दरियाबाद, निहालपुर करेली, सुलेम सराय, हरवारा, कंधईपुर, निवान, बेली, राजापुर, नेवादा, मऊसराय, कटरा पसियान, हटिया, चक दाऊदनगर, चक डांडी, चक काजपुर नामक मुहल्लों में स्थित हैं। कुल मिलाकर 10 नगरीय उपक्षेत्र में मलिन बस्तियों का अस्तित्व अधिक है। मलिन बस्तियां नगर महापालिका एवं राजकीय भूमियों पर ही नहीं अपितु खाली निजी स्वामित्व वाली भूमियों पर भी हैं। कई मलिन बस्तियां 20 वर्ष पूर्व से विद्यमान हैं और कई का प्रादुर्भाव निकट भूत में हुआ है। जल आपूर्ति, शौचालयों की व्यवस्था, विद्यालय, विद्युत और सड़क जैसी सुविधाओं की कमी के कारण इन मलिन बस्तियों के निवासियों का जीवन अत्यन्त कष्ट प्रद रहता है। समाज के अवांछित तत्व भी इन मलिन बस्तियों में सक्रिय रहते हैं और कानून व्यवस्था में अड़चन उत्पन्न करते हैं। इन मलिन बस्तियों के अधिकांश निवासी मामूली फेरी वाले, कूड़ा और फटे कागज बीनने वाले, होटलों और चाय की दुकानों पर कार्य करने वाले, कारखाना मजदूर और निर्माण कार्य में मजदूरी करने वाले होते हैं। स्त्रियां और बच्चे आसपास के श्रीमानों के यहां घरेलू नौकर के रूप में या झाड़ू लगाने और बर्तन धोने का कार्य करते हैं। इन बस्तियों में या इसके आस-पास कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो इन असहाय या मजबूर लोगों की आर्थिक विवशता का लाभ उठाते हैं और उन्हें अनैतिक आयामों के प्रति प्रेरित करते हैं।

सामान्यत: मलिन बस्तियों का अस्तित्व और प्रादुर्भाव औद्योगीकरण जन्य नगरीकरण की प्रवृत्ति का परिणाम माना जाता है। विशेषकर उन स्थानों पर जहां नगरीकरण एवं औद्योगीकरण की प्रक्रिया अनियोजित और आरोपित होती है।

इलाहाबाद नगर की स्थिति अपेक्षाकृत भिन्न है। इस नगर की मूल प्रकृति में औद्योगिक परिवेश कम और शैक्षिक व व्यावसायिक परिवेश अधिक है। निम्नलिखित तालिका 2 से यह प्रतीत होता है कि नगर की 67.30 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या तृतीयक क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाती है जिसमें यातायात संवादवाहन और वाणिज्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। नगर का मौलिक शैक्षिक चरित्र अनायास उद्घाटित होता रहता है। नगर के विभिन्न भागों में छोटी-छोटी जगहों पर विद्यार्थियों एवं नागरिकों का पारस्परिक वार्तालाप शैक्षिक होता है न कि व्यावसायिक।

तालिका-2

इलाहाबाद नगर में व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)

वर्ग	वर्ष			
	1951	1961	1971	1981
1. प्राथमिक	4.02	3.73	4.40	4.10
2. द्वितीयक	23.26	24.57	26.50	28.20
3. तृतीयक	72.72	71.70	69.20	67.30
3A वाणिज्य	18.36	16.57	15.25	15.65
3B यातायात संग्रह संवादवाहन	10.89	12.77	13.35	14.20
3C अन्य	43.36	42.36	41.48	41.15
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

इलाहाबाद में मलिन बस्तियां मुख्यतः नगर के भीतरी भागों में हैं जहां औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अभाव है। औद्योगिक इकाइयों का केन्द्रीयकरण नगर के दक्षिणी भाग यमुनापार के नैनी क्षेत्र में है। यह स्थिति मलिन वस्तियों में प्रादुर्भाव की उक्त संकल्पना को नकार देती है कि मलिन बस्तियां औद्योगीकरण की परिणाम है। वस्तुतः गांव की टूटन, वहां की आर्थिक क्रियाओं में विविधता की कमी मलिन वस्तियों के सृजन की यदि एक मात्र नहीं तो एक प्रमुख आधारिक कारक अवस्था है। गांव के परंपरागत व्यवसाय जो स्थानीय कारीगर और व्यवसायियों में जीवन के सहज अंग के रूप में समाये थे, विविध प्रयासों के बाद भी कम हो रहे हैं। गांवों में नवीन प्रकार के लघु कुटीर और कृषि आधारित उद्योग विकसित हो रहे हैं। परन्तु परंपरागत तकनीक और ज्ञान पर आधारित उद्योगों का पतन हो रहा है। परंपरागत हस्तकौशल के प्रोत्साहक गांव में कम है। मशीन निर्मित सामानों ने उन्हें अपंग कर दिया है। अब कोई भी व्यवस्था अधिक पूंजी की अपेक्षा करता है जो इन ग्रामीण गरीबों के पास नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप गांव के जुलाहों का स्थान मशीन चालित करघों ने लिया। तेल घानी मिलों में समा गयी। कुम्हार के बर्तन और उनका हुनर प्लास्टिक और अल्म्यूनियम के बर्तनों ने तोड़ दिया। सुनार और मोची का पारंपरिक कार्य कम होता जा रहा है। यहां तक कि दूध-घी का व्यवसाय भी नगरोन्मुखी होता जा रहा है। ग्रामीण इलाहाबाद विशेषकर इसके गंगापार और युवा क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव अधिक है और क्रियात्मक जोतों का आकार छोटा है। 1971 की कृषि गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियात्मक जोतों का आकार 1.16 हैक्टेयर है। इलाहाबाद जनपद में क्रियात्मक जोतों का औसत आकार 1.13 हैक्टेयर है। जनपद में यमुनापार उपखंड, जिसमें मेजा करछना और बारा तहसीले हैं, में क्रियात्मक जोतों का औसत आकार अपेक्षाकृत बड़ा है परन्तु अनुपयुक्त भू संरचना की पृष्ठभूमि में वहाँ की खेती अधिक आबादी को आजीविका अर्जन का आधार नहीं दे पाती है। भूमि की कमी, कृषि रोजगार की कमी, ग्रामोद्योगों की कमी, सहायक व्यवसायों की कमी के कारण ग्रामीण गरीबों का जीवन यापन अत्यन्त कठिन हो जाता है। भोजन सामग्री की भी कमी हो जाने पर, विवशतावश वे आजीविका की खोज में नगरों की ओर आते हैं। अपनी समस्त गृहस्थी लेकर स्टेशनों पर पड़े रहते हैं। प्रयोग योग्य सामानों के गट्ठर और परिवार के लिये कार्य की खोज में इधर-उधर घूमते हैं फिर वे किसी न किसी प्रकार कहीं न कहीं बस जाने को मजबूर हो जाते हैं।

विभिन्न मलिन बस्तियों में सूक्ष्म निरीक्षण और सर्वेक्षण की प्रक्रिया में यह पाया गया कि कई कारणों से इन मलिन बस्तियों के निवासियों ने अपने ग्रामीण परिवेश को छोड़ा है। कुछ बेहतर कार्य की खोज, कुछ असुरक्षा, कुछ पारिवारिक कलह और कुछ नगरीय चमक-दमक के कारण नगरों की ओर आये हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश विवशता के कारण, अपनी भयंकर गरीबी के कारण नगर की ओर उन्मुख हुये। इनके पास न हल-बैल थे न जमीन थी। आजीविका के लिए पारंपरिक उद्योगों का पतन हो गया। फलतः जीवन यापन करना कठिन हो गया। जब उनके घर का आखिरी दाना भी समाप्त होने लगा तब वे नगर की ओर चल पड़े। इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि वे नगर में आना नहीं चाहते थे। नगर की समस्या बढ़ाना उनका कोई लक्ष्य न था। लेकिन मात्र अन्न के दानों की चाह उन्हें यहां तक खींच लाई। यहां उन्हें मिला है तिरस्कार, शोषण, मलिन बस्ती और अमानुषिक जीवन, समाज ने उनको अभाव और समस्यायें दी हैं। निर्विवाद रूप से मलिन बस्तियाँ ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर बहाव का परिणाम हैं और इस बहाव के लिए उत्तरदायी घटक मूलरूप से ग्रामीण गरीबी ही है। विभिन्न मलिन बस्तियों के श्रमिकों में अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है। श्रमिकों का मुख्य भाग अप्रशिक्षित और अशिक्षित है। अतः उनमें से अत्यन्त कम औपचारिक क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं। अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं। कई मलिन बस्तियों यथा कीडगंज और किले के आस पास की बस्तियों

उसने हाथ को हथोड़ा बना लिया है

अशोक कुमार यादव

धूं-धूं करती भट्टी और ठम-ठम लोहे को कूट-कूट कर नया आकार देना व उसे जनोपयोगी बनाना यही तो जिन्दगी है एक लुहार की। हुकम "औजार उं लड़ाई व्हे है, औजार नी व्हे तो बतावो किशां इण लोहा ने मार-मार ने दूसरी चींजा बणावां।"

ये शब्द है चितौड़गढ़ जिले में बस्सी गांव के 40 वर्षीय अधेड़ विकलांग लुहार नन्दलाल के। समय के थपेड़ों ने उसे थकान जरुर दी है पर उसने उतने ही दुगने उत्साह से आशान्वित होकर काम किया है।

गांव के एक छोर पर स्थित उसकी दूकान पर हम दिन ढलने के बाद कोई साढ़े चार बजे पहुंचते हैं। उसकी दुकान पर एक दो ग्राहक बैठे हैं तथा दुकान के पास ही सटे घर में से उसका बच्चा निकलता है और उसके यहां आकर बैठ जाता है। नन्दलाल के दायें हाथ में पंजा नहीं है पर उसने पंजे का भी विकल्प निकाल लिया है। बिना पंजे वाले इस कटे हाथ में उसने हथौड़ा ऐसे फिट कर बांध रखा है कि मानों उसके दायें हाथ के पंजे ने हथौड़ा पकड़ रखा है। ऐसा लगता है कि नन्दलाल ने अपने दायें हाथ को ही पूरा हथोड़ा बना लिया है। यानी लकड़ी के दस्ताने का काम उसका कटा हाथ कर रहा हैं।

नन्दलाल का कहना है कि वह इस कटे हाथ में दस्ताना बांध कर वह सभी कार्य उसी गति से कर लेता है जैसा वह पंजे से हथौड़े के दस्ताने को पकड़ कर करता। बायां हाथ तो उसके लुहारी के छोटे-छोटे सहायक कार्यों को ही कर पाता है।

जिज्ञासावश पूछने पर वह कहने लगा कि हुकम "दायें हाथ में पंजा नहीं है तो क्या, मैं लुहारी का सारा काम दांतली, कुल्हाड़ी, ताला-कूंजी, कड़ाही, फाल्सा, कश्या सभी तो बना लेता हूं।" वह बैलगाड़ी में लोहे का सभी काम और खेती बाड़ी में काम आने वाले सभी औजार तो बखूबी से बहुत ही अच्छे बना लेता है। लुहारी के काम में वह इतना प्रवीण है कि उससे कोई भी लोहे का औजार बनवालो, वह बनाकर दे देगा।

नन्दलाल अपनी आप बीती सुनाने लगा। वह कोई दस वर्ष की उम्र का था तब उसका दायां हाथ चरखी में आ गया और अंत में उसको इस हाथ का पंजा कटवाना ही पड़ा। गरीब घर का नन्दलाल अब क्या करे। पंजा नहीं होने से लूहारी का पैतृक धंधा कर नहीं सकता था। इसी कारण वह अपने जीवन से निराश व हताश रहने लगा। उसकी उम्र 20 वर्ष की हुई तो विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे। नन्दलाल के जीवन में उसके ही पड़ौसी नाथू बा खाती नयी रोशनी बन कर उत्साह और आशा की दीप जलाने आये। नाथू बा की प्रेरणा से वह कुछ काम करने लगा। नाथू बा उस पर बराबर नजर रखते थे। जब नन्दलाल में प्रेरणा जागृत हो गयी तो उसने कटे हाथ में पंजे के स्थान पर हाथ में दस्ताना बांध कर हथौड़ा बांध लिया और लुहारी का काम करने लगा।

बस्सी गांव में बैंक आफ बड़ौदा की शाखा खुली तो बैंक वालों का भी नन्दलाल की तरफ ध्यान गया। बैंक आफ बड़ौदा ने नन्दलाल को उसके काम में सुधार लाने एवं नये औजार खरीदने के लिए सन् 1982 में एक हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया। जब उसने यह सारा ऋण चुका दिया तो बैंक ने उसकी इच्छा पर एक हजार 500 रुपये का ऋण और प्रदान कर दिया। इस ऋण से उसने अपना धंधा आगे बढ़ाया और दुगने उत्साह से काम करने लगा तो उसकी कुशलता को देख उसकी दूकान पर भी अधिक ग्राहक आने लगे।

नन्दलाल अपने इस धंधे से अब प्रति दिन 30 रुपये कमा रहा है। वह अपने ऋण की किश्तें भी बराबर चुका रहा है। नन्दलाल का मानना है कि उसे बैंक से ऋण प्राप्त हुआ तो उसके धंधे में भी सुधार हुआ। धंधा अच्छा चलने से उसके रहन-सहन में भी सुधार हुआ है और उसके घर का गुजारा ठीक चल रहा है।

(शेष पृष्ठ 21 पर)

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बीस सूत्री कार्यक्रम

राधेश्याम उपाध्याय

सर्व साधारण के सर्वोन्मुखी विकास में बीस सूत्री कार्यक्रम ने क्रांतिकारी भूमिका निभायी है। इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से निर्बल वर्ग के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है, सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है, अन्नोत्पादन के नये कीर्तिमान कायम हुए हैं तथा प्रदेश औद्योगिक समृद्धि की ओर बढ़ा है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कहीं कोई ढील न हो, इस उद्देश्य से जनपद स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अनुश्रवण समितियां बनायी गयी हैं, जो समय-समय पर इनकी समीक्षा करती हैं। 100 प्रतिशत या उससे अधिक उपलब्धि पर 'ए', 80 से 100 के मध्य 'बी', 60 से 80 प्रतिशत के मध्य 'सी' तथा 60 प्रतिशत से भी कम उपलब्धि होने पर 'डी' श्रेणी प्रदान की जाती है। इसी तरह जनपदों/मंडलों की उपलब्धियों पर प्प्तांक भी दिये जाते हैं। इस प्रक्रिया से विभिन्न मंडलों और जनपदों में एक स्वस्थ स्पर्धा पैदा होती है। वे और मुस्तैदी से कार्यक्रम को लागू करते हैं और प्रकारान्तर से विकास कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ते हैं।

इस स्वस्थ स्पर्धा का प्रतिफल वर्ष 1984-85 के अंतिम महीनों में देखने में आया। कुमायूं मंडल जो वर्ष के मध्य में तीसरे स्थान पर था। तीन माह बाद दूसरे स्थान पर आ गया और वर्ष समाप्त होते-होते उसने मेरठ मंडल और लखनऊ मंडल को पीछे छोड़ दिया जो उससे आगे चल रहे थे। गढ़वाल मंडल में भी इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक जागरूकता से हुआ। उल्लेखनीय उपलब्धियां सामने आयीं और इस मंडल ने सभी मंडलों में तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। इस तरह जिन तीन मंडलों में बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन सराहनीय ढंग से हुआ उनमें से 2 पर्वतीय क्षेत्र के हैं। कुमायुं मंडल ने कई सूत्रों में शतप्रतिशत से अधिक उपलब्धि की और आवास स्थल आवंटन का लक्ष्य 502 प्रतिशत पूरा किया। वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान राजकीय लघु सिंचाई तथा बिजी लघु सिंचाई द्वारा क्रमशः 5.90 हजार हैक्टेयर तथा 11.48 हजार है० अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य था जबकि उपलब्धि 6.04 ड०है० तथा 12.20 हजार हैक्टेयर रही। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम द्वारा 24 हजार परिवारों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य था जबकि 27315 लोगों को लाभान्वित कराकर 113.8 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गयी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में 323.33 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की गयी जबकि लक्ष्य 320.00 लाख रुपये ही था। बेरोजगारी तथा अर्द्धबेरोजगारी को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा 26.65 लाख मानव दिवस के विपरीत 26.69 लाख मानव दिवस तथा राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना द्वारा 16.69 लाख मानव दिवस लक्ष्य के विपरीत 23.66 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ। कुमायुं मंडल के अनुसूचित जाति/जनजाति के 23,196 परिवारों को 347 के विपरीत 392 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया तथा 10 के लक्ष्य के विपरीत 13 नलकूपों/पंपसेटों का ऊर्जन कराया गया। इसी तरह वृक्षारोपण का लक्ष्य 116.5 प्रतिशत, बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य 97.4 प्रतिशत। परिवार कल्याण (स्टरलाइजेशन) का लक्ष्य 77 प्रतिशत तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य 105.3 प्रतिशत पूरा किया गया।

नैनीताल जनपद सबसे आगे

नैनीताल जनपद ने पूरे उत्तर प्रदेश में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अपनी लगन, परिश्रम और समर्पणशीलता के चलते प्रथम स्थान प्राप्त किया। जनपद में विभिन्न सूत्रों में शतप्रतिशत से लेकर 2 प्रतिशत तक पूर्ति सुनिश्चित की। नैनीताल में राजकीय लघु सिंचाई से 4.80 हजार हैक्टेयर तथा निजी लघु सिंचाई द्वारा 11.46 हजार है० अतिरिक्त सिंचन क्षमता प्राप्त की। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम द्वारा 9.08 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया जबकि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के तहत 8.25 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ जो लक्ष्य का 391 प्रतिशत है। 7500 के लक्ष्य के विपरीत अनु० जाति/जनजाति के 11174 परिवारों को लाभान्वित कराया गया और 115 समस्या ग्रस्त गांवों में पेयजल व्यवस्था सुलभ करायी गई।

वर्ष के प्रारम्भ में 200 आवासहीन परिवारों को आवास स्थल आवंटित करने का लक्ष्य था जबकि 1004 लोगों को आवास स्थल आवंटित किए गए। अनु० जाति/जनजाति के लोगों को आवास स्थल आवंटित करने का लक्ष्य 263.8 प्रतिशत पूरा किया गया और 422 परिवार इससे लाभान्वित हुए। ग्राम्य विकास विभाग तथा हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा चलाई गई आवास निर्माण योजना द्वारा 369 आवास बनाये गये जिनमें से 292 अनु० जाति/जनजाति के लिए है। मलिन बस्ती सुधार योजना से 2820 लोग लाभान्वित हुए हांलाकि लक्ष्य 2400 का ही था।

नैनीताल जनपद ने ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य 366.7 प्रतिशत और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 468.4 प्रतिशत पूरा करके एक कीर्तिमान कायम किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 88 गांवों तथा 89 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ। इसी तरह 326 नलकूपों/पंपसेटों का ऊर्जन कराया गया जो लक्ष्य का 121.2 प्रतिशत है। परिवार कल्याण

(नसबंदी आपरेशन) का लक्ष्य यह जनपद भी 86.5 प्रतिशत ही पूरा कर सका लेकिन बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य लाभान्वित कराकर लक्ष्य की 122.6 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। समस्याग्रस्त गांवों के पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य इस मंडल ने 98.5 प्रतिशत पूरा किया तो आवास स्थल आवंटन का लक्ष्य 502 प्रतिशत पूरा कर दिखाया और 200 के बदले 1004 आवासहीन लोगों को आवास स्थल दिये गए।

ग्राम्य विकास विभाग तथा हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा 825 आवास निर्मित कराने का लक्ष्य था जबकि 894 आवास निर्मित हुए। इसी तरह 3100 के स्थान पर 3520 लोगों को मलिन बस्ती सुधार योजना का लाभ मिला जो लक्ष्य का 113.5 प्रतिशत है। हांलाकि कुमायूं मंडल, परिवार कल्याण (स्टरलाइजेशन) का लक्ष्य 81.9 प्रतिशत ही पूरा कर सका लेकिन ग्रामीण लघु उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य 101.9 प्रतिशत पूरा किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण तथा नलकूपों/पंपसेटों के ऊर्जन में अच्छी प्रगति हई और 335 गांवों तथा 285 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण और 30 नलकूपों/पंपसेटों का ऊर्जन करके इनका लक्ष्य क्रमशः 125.5, 133.8 तथा 120.9 प्रतिशत पूरा किया गया।

गढ़वाल मंडल ने भी बीस सूत्री कार्यक्रम में विशेष सक्रियता दिखाई और वार्षिक अनुश्रवण में वह तीसरे नं० पर रहा। राजकीय लघु सिंचाई तथा निजी लघु सिंचाई द्वारा क्रमशः 4.29 हजार है० तथा 2.68 है० क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ हालांकि लक्ष्य इससे कम ही था। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम द्वारा 368.00 लाख रुपये का ऋण वितरित करके 33,595 परिवारों को लाभान्वित कराया गया जो कि लक्ष्य का 212.7 प्रतिशत है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा 18.35 लाख मानव दिवस तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना द्वारा 33.78 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन कराकर लक्ष्य क्रमशः 113.6 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत पूरा किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति विकास कार्यक्रम के तहत 23,376 परिवार लाभान्वित हुए तथा 686 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल सुलभ कराया गया जो लक्ष्य की तुलना में अधिक है। ग्राम्य विकास विभाग तथा हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निर्माण योजना में कुल 841 आवास वर्ष 1984-85 में बनाये जाने थे जबकि 1865 आवास बनाये गये जो लक्ष्य का 221.8 प्रतिशत है। इसी तरह अनु० जाति/जनजाति के लोगों के लिए 1558 आवास बनाये गये जो लक्ष्य का 323.9 प्रतिशत है। मलिन बस्ती सुधार योजना द्वारा मंडल के 10500 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था और 16408 लोग लाभान्वित्त किये गये।

ग्रामीण विद्युतीकरण हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा नलकूपों/पंपसेटों के ऊर्जन का जो लक्ष्य था उसकी पूर्ति अपेक्षा से कहीं अधिक हुई है। उदाहरण के लिए 433 के लक्ष्य के विपरीत 460 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। वृक्षारोपण का लक्ष्य, 133..9 प्रतिशत पूरा किया है। वर्ष भर में 230 के बदले 232 ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की इकाइयां स्थापित कर इस कार्यक्रम का शतप्रतिशत लक्ष्य व पूर्ति कर ली गयी है।

इस तरह बीस सूत्री कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन से पर्वतीय क्षेत्र निरन्तर विकास की नयी ऊंचाइयों को स्पर्श करता जा रहा है। □

सूचना विभाग, उ०प्र०
लखनऊ-1

आत्म हत्या से जीवन तक

सतीश चन्द्र

अलवर की स्कीम नं० 10 निवासनी परित्यक्ता श्रीमती सावित्री यादव आज से एक साल पहले तक, जिसका जीवन नर्क था, और पति की ज्यादतियों से परेशान हो कर रेल के आगे कूद कर आत्म हत्या करना चाहती थी, का जीवन अब पूरी तरह बदल गया है। उस के चेहरे पर अब मायूसी के बजाय अदम्य उत्साह और आत्म विश्वास के साथ जीवन जीने की ललक परिलक्षित होती है।

उस का विवाह आज से करीब बाईस साल पहले एक पढ़े लिखे युवक के साथ हुआ था। लेकिन पति के परस्त्रीगामी होने के कारण उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यहाँ से शुरु हुआ उस की बरबादी, पिटाई और तरह-तरह की यातनाओं का अटूट सिलसिला। पति द्वारा घर से निकाल दिये जाने पर वह आत्महत्या करना चाहती थी। क्योंकि अपना गुजारा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। कई जगह नौकरी की कोशिश की लेकिन पढ़ी लिखी न होने के कारण नौकरी भी कौन देता।

एक दिन अपनी दुःख भरी दास्ता वह अपनी नई आई पड़ोसन को सुना रही थी। पड़ोसन ने उसे आत्महत्या न करके संघर्षो से लड़ते हुए सम्मान पूर्वक जीने के लिए प्रेरित किया तथा बैंक ऑफ इण्डिया से भैंस खरीदने हेतु दो हजार रुपयों की व्यवस्था भी करा दी। भैंस खरीद कर उसने दूध का व्यवसाय शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से अब वह एक साल के अन्दर तीन भैंसों की मालकिन है। अपना खर्चा चलाने के साथ सावित्री ने एक भैंस का पूरा कर्जा भी चुका दिया है। अभी 27-11-85 से उस ने चाय की एक छोटी सी ठेली भी लगाई है जिस से उसें करीब पचास रुपये रोज की आय होने लगी है।

बैंक की सहायता, अपनी पड़ोसन की सलाह व प्रेरणा से अब उस में नया उत्साह जागा है और सम्मान पूर्वक जीने की चाह भी। □

सौर-चूल्हा—ईंधन बचत का एक और उपाय

श्याम मनोहर व्यास

आज ईंधन दिन प्रति दिन महंगा होता जा रहा है। पेड़ों की निरन्तर कटाई से कोयला जहां महंगा हो रहा है वहां कैरोसीन के भाव भी आसमान को छूते जा रहे हैं। गैस के चूल्हे भी सर्वसाधारण को सुलभ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जगत में सौर-चूल्हा अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सौर ऊर्जा से पौष्टिक खाना भी सुलभ होगा। राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग केन्द्र उदयपुर ने "चित्रा" सौर चूल्हे का निर्माण किया है। मात्र डेढ़ सौ रुपये में यह उपलब्ध है।

सौर चूल्हा सूर्य के प्रकाश को एकत्रित कर, उष्मा में बदल देता है। यह एकत्रित सूर्य-ऊर्जा एक कुचालक डिब्बे में बंद हो जाती है।

यह कुचालक डिब्बा दुहरे कांच के ढक्कन से ढंका रहता है ताकि ऊष्मा बाहर न जा सके।

जैसे-जैसे सूर्य का प्रकाश इस डिब्बे में बढ़ता है, वैसे-वैसे डिब्बे के अन्दर का तापमान बढ़ता जाता है और करीब-करीब 120 डिग्री से 130 डिग्री सेंटीग्रेड एक घंटे में हो जाता है। सौर-चूल्हे को सूर्य की दिशा में ठीक ढंग से लगा देना होता है।

"चित्रा" सौर चूल्हे की बनावट सरल है। यह एक सन्दूक के समान है। यह 55 से.मी. लम्बा 55 से.मी. चौड़ा और 25 से.मी. ऊंचा है। इस सन्दूक में टिन की एक ट्रे है जो काले रंग में रंगी हुई है। सन्दूक व ट्रे के बीच की जगह में कुचालक पदार्थ की पैकिंग है जो गर्मी को रोकती है। इस चूल्हे में दो ढक्कन हैं। बाहर के ढक्कन में एक आइना लगा हुआ है तथा दूसरे ढक्कन में दोहरे साधारण कांच लगे हुए हैं जो लकड़ी के फ्रेम में फिट हैं। कांच जहां लकड़ी से जुड़ा है वहां पर रबर की पतली डोरी भी लगी है जिससे कांच का ढक्कन ट्रे पर फिट बैठ सके और गर्मी बाहर न निकले। सौर-चूल्हा के नीचे चार पहिये लगे हैं जिससे इसे आसानी से इधर-उधर ले जा सकते हैं। आइने वाले ढक्कन को रोकने के लिए एक लोहे की छड़ है जो डिब्बे के किनारे में फंसा दी जाती है। यह सौर-चूल्हा चार अल्यूमिनियम के डिब्बों के साथ आता है जिन्हें बाहर से काले रंग से रंगा गया है। क्योंकि काला रंग अधिक ऊर्जा इकट्ठी करता है। सौर-चूल्हे से गर्म बर्तनों को निकालने के लिए दो दस्ताने भी आते हैं।

सौर-चूल्हे से आप चावल, दाल, सब्जियां, मांस-मछली, केक, अंडे, खीर इत्यादि आसानी से पका सकते हैं। चपाती नहीं बना सकते। 5-6 सदस्यों के परिवार का खाना साढ़े तीन घंटे में स्वतः बन कर तैयार हो जाता है।

सौर-चूल्हे से लाभ : (1)—सौर-चूल्हा ईंधन की बचत करता है। आप इसमें कोई भी खाद्य पदार्थ उबाल या भून सकते हैं। इसमें जलने का कोई खतरा नहीं रहता। (2) सौर-चूल्हे में खाद्य पदार्थ बहुत धीरे-धीरे और हल्के तापक्रम पर पकता है। इससे कोई वस्तु जलती नहीं है और न ही उसके विटामिन व प्रोटीन नष्ट होते हैं। (3) सौर-चूल्हे में खाना स्वच्छ रूप से पकता है। खाने में न केरोसीन, न गैस, न धुएं की दुर्गन्ध आती है, खाने का स्वाद व रंग प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहता है। (4) सौर-चूल्हे को निरन्तर प्रयोग में लाने से आप 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत ईंधन की बचत कर सकते हैं। इस बचत से 10 महीनों में ही आपका सौर-चूल्हा मुफ्त हो जायगा। (5) सूर्य-चूल्हा राष्ट्र की ईंधन की समस्या तथा ऊर्जा संकट के निवारण में बड़ा सहायक है। (6) सौर-चूल्हे के पास लगातार बैठने की आवश्यकता नहीं है, इससे समय की काफी बचत होती है। सौर-चूल्हे को ऐसी जगह रखिये जहाँ उस पर 2 से 3 घंटे तक सूर्य की किरणें अबाध गति से आती रहें। सौर-चूल्हे का आइने वाला ढक्कन खोल दीजिये और आइने को ऐसी दिशा में रखिये कि सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक दुहरे कांच के ढक्कन पर पड़े। कांच को ऊपर नीचे कर स्थिर कर दीजिये ताकि सूर्य की किरणें अबाध गति से उस पर पड़े। खाना पकाने का समय सूर्य के प्रकाश व खाने की मात्रा पर निर्भर करता है।

सौर-चूल्हे में कोई घिसने घिसाने की वस्तु नहीं है, जिसे बदलने की अक्सर आवश्यकता पड़े।

इसमें 18" x 18" साईज का आइना है और 18"x18" साईज के दो साधारण कांच। इनको सावधानी से रखना चाहिये। अगर किसी कारण यह कांच टूट जाए तो इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। केवल खोल कर नया कांच या आइना लगाना होगा जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। सौर-चूल्हे के डिब्बों पर काला रंग किया हुआ है, इस कारण डिब्बों को बाहर से जोर से न मांजे। रंग मिटने पर बाजार से साधारण पेन्ट लाकर डिब्बों पर पेन्ट किया जाता है।

अन्दर की काली ट्रे पर खाना या पानी न गिरने दें और इसे गीले कपड़े से साफ कर दिया करें। दुहरे कांच के ढक्कन को और आइने को गीले कपड़े से साफ कर अखबार के कागज से पोंछ सकते हैं। खाने के डिब्बे को भोजन तैयार होने पर कपड़े से निकालें, अन्यथा हाथ जलने का डर रहता है। सौर-चूल्हे का दुहरे कांच का ढक्कन खोलते समय मुंह पास न ले जाएं अन्यथा गर्म भाप लगने का डर रहता है। कांच या आइने पर कोई भारी चीज न गिराएं और न ही सौर-चूल्हे के ऊपर बैठें या भारी वस्तु रखें। यह सत्य है कि भविष्य में ऊर्जा संकट से उबारने में सौर-चूल्हा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। □

15, पंचपेटी, उदयपुर (राज.)

चालीस गधों ने बदली गोंडा की किस्मत

खेत में गधे छोड़ने के बाद रात में हाथ सेकते हुए गोंडा

हालांकि शिवगोंडा और उसके चालीस गधों की तुलना अलीबाबा और चालीस चोर से नहीं की जा सकती लेकिन दोनों ही अत्यन्त निर्धन थे और इसी कारण सब लोग उन्हें जानते थे।

कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में एक डिन्डगूर नाम का गांव है। इसी गांव में शिवगोंडा ने एक उल्लेखनीय काम कर दिखाया। शिवगोंडा के पास एक हैक्टेयर से भी कम शुष्क जमीन थी जिस पर घास तक नहीं उगती थी। उसके जिन पड़ोसियों की स्थिति कुछ उससे अच्छी थी, उन्होंने बैंकों से ऋण लिया और वे बड़ी संख्या में भेड़, गाय, बैल और सुअर के मालिक बन गये। हताश और निराश बेचारा शिवगोंडा रात-दिन अपने पड़ोसियों की दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति देखता रहता था।

लेकिन जैसे बिजली कोंधती है वैसे ही उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न वह गधों की खरीद के लिए बैंक से सहायता ले। उसने गधों का सामान ढोने के लिए उपयोग न करने का निश्चय किया। उसने अपने आस-पास के लोगों को गधे की लीद और मूत्र खाद के रूप में बेचने की योजना बनायी। योजना के अनुसार उसने रात्रि में अपने गधों की किसी खेत में छोड़ देने और खेत के मालिक से गधों की लीद और मूत्र के रूप में मिलने वाली खाद के एवज में कुछ शुल्क वसूल करने का निश्चय किया।

शिवगोंडा कनारा बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक से मिला। बैंक का प्रबन्धक उसकी इस योजना से बहुत प्रभावित हुआ। उसने खाद के लिए रात में खेतों में बत्तखों और भेड़ों का छोड़ना तो देखा था पर गधों का छोड़ना तो एक नयी बात थी। फिर भी वह शिवगोंडा को ऋण देने के लिए सहमत हो गया। शीघ्र ही शिवगोंडा 40 गधों का मालिक बन गया।

आस-पास के किसान इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि गधे की लीद और मूत्र खाद के रूप में बहुत उपयोगी हैं। जल्दी ही हालत ये हो गई कि उसके पड़ोसी रात में उसके गधों को अपने खेतों में ले जाने के लिए उसके घर पर लाइन लगाने लगे। शिवगोंडा को केवल रात में खेत में गधों को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर बांधना होता था। सुबह वह खेत से अपने गधों को चराने के लिए वापस ले जाता था। वह एक रात के लिए प्रत्येक गधे पर 50 पैसे वसूल करता था। प्रति दस गधों के ऊपर उसे रागी की निश्चित मात्रा भी दी जाती थी।

अब शिवगोंडा बैंक के ऋण का भुगतान कर देने के बाद 800 रुपये प्रतिमाह कमा लेता है। अब तो वह और 40 गधे खरीदने का विचार कर रहा है और बैंक उसे इस खरीद के लिए ऋण देने को तैयार हैं। □

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
और
20-सूत्री कार्यक्रम के साए में पलता
राजस्थान

प्रभात कुमार सिंघल

स्वतन्त्रता से पहले राजस्थान में ग्रामीण विकास नदारद था किंतु समन्वित ग्रामीण विकास और 20-सूत्री कार्यक्रम से गांवों की स्थिति सुधरी है। स्वतंत्रता पूर्व प्रदेश में साक्षरता तीन-चार प्रतिशत थी जो आज अठाइस प्रतिशत है। आज लगभग 29000 प्राथमिक विद्यालय गांवों और शहरों में खोले जा चुके हैं। पहले जहां राजाओं के महलों और सेठों की हवेलियों की सीमाओं में कैद महज 42 बस्तियों में बिजली थी वहीं आज लगभग 20000 गांव बिजली की रोशनी से जगमग हैं और 250000 से अधिक कुओं को विद्युत ऊर्जा से सिंचाई के लिए चलाया जा रहा है। कुल आबादी के समस्याग्रस्त 29000 गांवों में से 22000 गांवों में पीने का पानी सुलभ कराया जा चुका है। राजस्थान के सिंचाई स्रोतों में तीन गुना वृद्धि हुई है और प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद कृषि उत्पादन एक करोड़ टन के आस पास पहुंच चुका है। लगभग 1300 एलोपैथी और 3 हजार 522 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय तथा औषधालय चल रहे हैं।

सातवीं योजना में पिछली योजना में शुरू किए गए कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि उसके प्रभावी परिणाम सामने आ सकें। सातवीं योजना में बिजली और पानी के स्रोतों के विस्तार पर विशेष बल है। राज्य सरकार का संकल्प है कि चालू वित्तीय वर्ष (1985-86) में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार गांवों और इतनी ही हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई जाए। साथ ही यह प्रयत्न किया जाएगा कि राज्य में बिजली का अधिकाधिक उत्पादन एवं विस्तार हो सके जिससे तेजी से उद्योगों और खेती का विकास हो। इसी प्रकार लगभग 125 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वर्ष 77 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा जुटाने के लिए किया गया है। पेयजल सुविधाओं पर इस वर्ष 76 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी।

आजादी के बाद विकास के ये तथ्य इस बात को पुष्ट करते हैं कि राजस्थान में विकास की गति काफी तेज रही और भावी संकल्प विकास की इस गति को तीव्रतर करने का ही संकेत देते हैं।

बीस सूत्री कार्यक्रम

बीस सूत्री कार्यक्रम में देश में राजस्थान इस वर्ष भी प्रथम आने का प्रयास कर रहा हैं। विगत तीन वर्षों में यह राज्य बीस सूत्री कार्यक्रम में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 1985-86 में बजट का 70 प्रतिशत अर्थात् 300 करोड़ रु० इस महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम के लिए निर्धारित हैं। बजट का इतना बड़ा हिस्सा गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के कार्य में लगा कर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

कमजोर तबके का आर्थिक जीवन ऊपर उठाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन गत वर्ष निर्धारित लक्ष्य से अधिक एक लाख 58 हजार 280 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। इस वर्ष अब तक 8 हजार 716 परिवारों को आर्थिक सहायता जुटाई गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष 61.10 लाख मानव दिवस जुटाने के लक्ष्य की जगह 97.72 लाख दिवसों का सृजन किया गया। इस वर्ष जून 85 तक 53.17 लाख मानव श्रम दिवसों का सृजन किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 23 हजार 977 परिवारों को विभिन्न योजनाओं में लाभ दिया गया है। पेयजल इस वर्ष एक हजार 600 गांवों के लक्ष्य की जगह अभी तक 415 से अधिक गांवों में उपलब्ध कराया जा चुका है। गन्दी बस्ती सुधार में 8236 लोगों को लाभान्वित किया गया, जबकि 2583 लोगों को मकान बनाने के लिए 7 करोड़ 50 लाख रु० की सहायता प्रदान की गई एवं 3153 व्यक्तियों को भूखंड वितरित किये गये।

अभी तक 23 गांवों में बिजली और 46 कुओं का विद्युतीकरण किया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के रूप में जून 85 के अंत तक 2 हजार 310 बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये।

भूमिहीनों एवं बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 12 हजार एकड़ भूमि आर्वटन के लक्ष्य के विपरीत 24 हजार एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई। इसी प्रकार गत वर्ष 564 बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास किया गया। गत वर्ष ही एक लाख 22 हजार 802 अनुसूचित तथा 67 हजार 372 अनु० जन जाति के परिवारों को सहायता दी गई। 2 हजार 547 गांवों में पेयजल सुलभ कराया गया। 65 हजार 514 आवासीय भूखंड कमजोर वर्ग के लोगों को आवंटित किए गए तथा 37 हजार 297 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कच्ची बस्ती सुधार कार्यक्रम से गत वर्ष 64 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख 21 हजार 48 लोगों को लाभ मिला। एक हजार 244 गांवों को तथा 17 हजार 870 कुओं पर बजली दी गई। मरूस्थल को हरियाली में बदलने के लिए 857 लाख पौधे लगाए गए। **ग्रामीण क्षेत्रों में 8 हजार** 73 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गये। परिवार कल्याण में एक लाख 38 हजार 160 नसबंदी आपरेशन किए गए।

विकास के प्रमुख पक्ष

सातवीं योजना में कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जायेगा। वर्ष 1985-86 में शुष्क खेती को बढ़ावा देने के लिए दो सौ जलाशयों का निर्णय किया गया और 700 हद सामुदायिक प्रदर्शनों की योजना है। जयपुर जिले के लिए कृषि कुंओं को गहरा कराने की विशेष योजना भी है। सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक खाद्यान उत्पादन बढ़ कर 113 लाख टन होने की आशा है। दलहन का उत्पादन 11 लाख से बढ़कर 14 लाख टन हुआ है। सातवीं योजना के अंत तक इसे 24.80 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलहन का उत्पादन भी 2 लाख से बढ़कर 12 लाख टन हो गया है। सरसों जो अलवर और भरतपुर में बोया जाता था, अब राज्य के अन्य जिलों में भी बोया जाने लगा हैं।

कपास उत्पादन में देश में अब राजस्थान का स्थान दूसरा हो गया है। 1955 में एक लाख टन कपास की गांठों से बढ़कर अब उत्पादन 4.41 लाख टन हो गया हैं। भविष्य में यह उत्पादन 8 लाख टन होने की आशा है। गन्ने का उत्पादन भी 13.69 लाख टन तक पहुँच गया हैं।

राज्य की आय का प्रमुख आधार कृषि ही है। राज्य की कुल आय 5626 करोड़ रुपयों में से 2906 करोड़ रुपया कृषि से प्राप्त होता हैं। इस प्रकार 52 प्रतिशत आय कृषि पर आधारित है। जब कि कृषि से आय का अखिल भारतीय स्तर 43 प्रतिशत है।

1978 में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के बाद 31 मार्च 1985 को राज्य में 1 लाख 13 हजार 241 लघु और दस्तकारी इकाइयां स्थाई रूप से पंजीकृत थीं। इनमें 4 अरब 32 करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोजन है और करीब 4 लाख हजार लोगों को आजीविका मिल रही हैं।

जिला उद्योग केन्द्रों की विशेष रूचि का परिणाम था कि राज्य बीस सूत्री कार्यक्रम और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना में वर्ष 1983-84 में देश में प्रथम रहा तथा गत वर्ष भी अग्रणी राज्यों में रहा। छोटे उद्यमियों को अब पंचायत समिति स्तर पर भी 2000 रु० तक का ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है। राज्य के 16 जिलों में केन्द्रीय एवं शेष 11 जिलों में राज्य विनियोजन अनुदान उपलब्ध है। राज्य सरकार ने इस वर्ष छोटे उद्योगों को बिजली के उपभोग पर विशेष सुविधा दी है। परीक्षण उपकरण खरीद और आई० एस० आई० मार्का पर अनुदान तथा ब्याज मुक्त ऋण योजना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

पिछड़े एवं गरीब तबकों के सबसे गरीब व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए 1978-79 से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य खंडों में लागू किया गया। गरीबी उन्मूलन के इस कार्यक्रम से छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान 1 अरब 3 करोड़ 94 लाख रुपये खर्च कर 7 लाख 11 हजार 557 परिवारों को कृषि, पशुपालन व अकृषि कार्यों से लाभान्वित किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में 15.86 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम के लिए आबंटित किए गए हैं और 39 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

उल्लेखनीय है कि 1981 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख 51 हजार है। इनमें से 47.90 लाख जनसंख्या अनुसूचित जाति व 40.27 लाख जनजाति की हैं।

अप्रैल 81 से प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 50 करोड़ 81 लाख रुपये व्यय खर्च किये जा चुके हैं। छठी पंच वर्षीय योजना में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम पर 10 करोड़ 20 लाख 66 हजार रुपये खर्च कर सड़कें, सिचाई भूमि तथा जल संरक्षण एवं वन विकास के कार्य कराए गए और 73.27 लाख मानव श्रमिक दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। सूखा सम्भाव्य कार्यक्रम पर अब तक 13 करोड़ 61 लाख के प्रावधान में से 11.83 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

मरु समस्या को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने लंबी अवधि की मास्टर प्लान परियोजना प्रारंभ की है। सातवीं योजना प्रारूप में इस पर पांच अरब साठ करोड़ रुपये का प्रावधान है।

राज्य की 12.20 प्रतिशत अर्थात् 40.27 लाख जनसंख्या आदिवासियों की है। भील, मीणा, गरासीया, सहरिया एवं दामोर प्रमुख आदिवासी जातियां है। राज्य में अधिकांश आदिवासी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और कोटा में हैं।

दूसरी पंच वर्षीय योजना में जन जाति क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं पर 583.90 लाख रुपया व्यय किया गया। तीसरी व चौथी योजना में इनके कल्याण पर क्रमशः 932.56 लाख और 1064.18 लाख रुपया व्यय किया गया। राज्य में एकीकृत जन जाति विकास कार्यक्रम शुरू करने के बाद पांचवी योजना में 7172.80 लाख रुपये व्यय किये गये। जन जाति उप योजना क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं पर 1978-79 में 3328.59 लाख रुपया तथा 1979-80 में 3645.53 लाख रुपया व्यय किया गया।

छठीं पंचवर्षीय योजना में 255.90 करोड़ 60 का प्रावधान कर व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। सामुदायिक एवं व्यक्तिगत कार्यक्रमों दोनों पर 28,036.24 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। एकीकृत ग्रामीण विकास एवं माडा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया हैं।

सहरिया, कोटा जिले में राज्य की सबसे पिछड़ी जाती है। इनके उत्थान के लिए प्रथक सहरिया विकास उपयोजना कार्यरत है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष 20 लाख की राशी विशेष रूप से उपलब्ध कराती है।

उप योजना माडा तथा सहरिया परियोजना से आदिवासीयों में नई चेतना जागृत हुई है। सामाजिक संस्थाओं में भी कूप मंडूकता कम हो कर जीवन स्तर में सुधार आया है।

राजस्थान में आजादी के पश्चात गरीब जनता से अंधकार दूर हुआ है, साक्षरता बढ़ी है, पिछड़ापन दूर हुआ है कृषि उत्पादन बढ़ा है, लघु उद्योग उभरे हैं और गरीबी उन्मूलन के विशेष प्रयास किये गये हैं तथा हर क्षेत्र में प्रगति हुई है।□

के० आर 520
माल रोड़
कोटा (राजस्थान) 324001

उसने हाथ को हथोड़ा बना लिया है...

.... (पृष्ठ 12 का शेष)

खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है पर अपने लड़के को स्कूल भेजता है। उसका मानस तो यह है कि बच्चों को खानदानी धंधा सीखाये पर चाहता है कि उसे तो जिन्दगी भर यह हथौड़ा चलाना पड़ा, क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाये। नन्दलाल के परिवार में कुल पांच सदस्य हैं तीन बच्चे और पति-पत्नि।

उसके सात बीघा जमीन भी है पर उसमें वह एक फसल ही ले पाता है। उसकी आजीविका तो निर्भर है इसी लुहारी धंधे पर।

नन्दलाल दारु भी नहीं पिता है जो उसका पैसा व्यर्थ में जाये। उसका कहना है कि दारु आदमी के शरीर को खोखला बना देती है।

उससे जब पूछा गया कि उसके इस दायें हाथ के पंजे के नहीं होने से उसे कैसा महसूस होता है तो वह कहने लगा "हुकम मेरे जीवन में निराशा के बादल एक बार आये थे पर मेहरबानी हुई नाथू बा खाती की और उस बैंक की जिसने मुझे जीना सीखा दिया। मैं अब उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन को स्मरण कर दुगने उत्साह से कार्य करता हूं।" नन्दलाल का कहना है कि अगर उसे अधिक मात्रा में ऋण मिले तो वह अपने धंधे को और बेहतर ढंग से करेगा तथा और आगे बढ़ायेगा। यह कहते-कहते वह अपने सुनहरे सपनों के संसार में खो गया। □

(राजस्थान विकास से साभार)

कहानी

द्विजिभा

उस दिन हरिपुर में सुबह से ही बड़ी सरगर्मी थी। माध्यमिक स्कूल के अहाते में सामयाना लगाया गया था। रंग बिरंगे कागज के पताके इधर-उधर लहरा रहे थे। आज एक प्रतियोगिता होने वाली थी। जिसका आयोजन प्रखंड पदाधिकारी ने अपने प्रखंड स्तर पर किया था। एक भाषण प्रतियोगिता थी, जिसका विषय था 'दहेज उन्मूलन और युवक'। प्रखंड भर के प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे थे। मुख्य अतिथि जिले के कलक्टर साहब थे। अन्य गणमान्य लोगों के लिए भी कुर्सियां लगी हुई थीं। अपने नियत समय पर कलक्टर साहब और बी०डी०ओ० साहब भी पहुंचे। प्रतियोगिता आरंभ हुई। प्रखंड भर के नवयुवक आते और रटी रटायी बात सुनाकर जाने लगे। परिणाम की घोषणा हुई, प्रथम आया—रमेश। रमेश बगल वाले गांव के ठेकेदार साहब का लड़का। लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पांच सौ रुपये का नगद इनाम तथा प्रमाण पत्र देखकर ठेकेदार साहब गद-गद हो गये। उन्होंने बेटे की पीठ ठोकी। आज रमेश ने उनकी नाक उंची कर दी। रमेश का पिता होने के नाते कलक्टर साहब ने शिष्टाचार वश उनसे भी बात की। इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात हो सकती थी उनके लिए। सभा समापन के अवसर पर बी०डी०ओ० साहब कुछ कहने ही जा रहे थे कि भोला बीच से उठकर बोला—सरकार हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अगर दो मिनट का समय देते तो बड़ी कृपा होगी। बी०डी०ओ० साहब खिझलाए किन्तु सभा को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा—हां-हां क्यों नहीं। इस कुरीति पर केवल युवकों को ही नहीं हम सभी को विचार करना है। अगर हम खुद समझ लेते हैं तो फिर किसी को कठिनाई ही नहीं। —हां सरकार वही तो विचार कर हम कहना चाहते हैं। भोला बीच से उठकर चौकी पर रखे माइक के सामने खड़ा हो गया। सरकार मैं अनपढ़ गवार हूं किन्तु मैं तो यही सोच रहा हूं कि क्या यह सब करने से इस प्रथा का अंत हो सकता है? नहीं-नहीं सरकार यह कभी खत्म नहीं हो सकता, पर्ची रट कर सुना देने से कुछ नहीं होगा। मैं पूछता हूं कि ये भाषण देने वाले क्या अपनी मन की बात कहते हैं? किसी शिक्षक से लिखवाकर रट लेना दूसरी बात है जबकि खुद के चिन्तन से उपजी बात दूसरी है। भोला बोलते—बोलते हांफने लगा था। थोड़ा सोचकर फिर बोला—अगर सचमुच में ये लोग इस प्रथा को हटाना चाहते हैं तो इन्हें पर्चेबाजी से हटकर रचनात्मक काम करना होगा। इन्हें खुद आगे आना होगा। मैं तो अभी कसौटी पेश कर रहा हूं। है कोई इन भाषण देने वालों में से जो मेरी बेटी से शादी करे? यह कहकर भोला चुप हो गया। उसे खुद नहीं मालूम कि कैसे वह इतना कह सका। किन्तु उससे भी बुरी दशा श्रोताओं की थी। सब भौंचक्के से थे। भोला ने सबके सामने एक चुनौती रख दी थी। सब लोग कानाफूसी करने लगे। इस चुप्पी को तोड़ते हुए भोला बोला—मैं जानता था कि कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दहेज देने को मोटी रकम नहीं है। अच्छा सरकार मैं जा रहा हूं। यह कह, वह चौकी से उतरने लगा। तब तक रमेश एकाएक उठकर बोला। रुकिये, बाबा। मैं हूं, आपकी लड़की से शादी करने वाला। लेकिन शर्त है कि पहले मैं उसे देखूंगा। भोला की आंखे डबडबा गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सब लोग कभी भोला को तो कभी रमेश को देखने लगे थे। भोला बोला—हां बेटा तुम देख लो। मेरी लड़की इसी स्कूल से मिडिल पास है। मैं अभी दिखा दे रहा हूं। भोला ने लड़कियों के झुण्ड से एक लड़की को बुलाया। लड़की आकर भोला के सामने सर झुका कर खड़ी हो गई। रमेश ने देखा, इस लड़की के सामने तो कॉलेज की लड़कियां भी पीछे रह गई थीं। हां उनमें कृत्रिमता अधिक होती है ओर यह स्वभाविक

सुदेश कुमार सिंह

सौंदर्य की मालकिन थी। रमेश शर्माते हुए अपने पिता को देखकर बोला-पिता जी—ठेकेदार साहब अपने लड़के की लड़कबुद्धि पर झुंझला उठे। क्षणभर उनका तेवर बदला। तब तक बी०डी०ओ० साहब ने भी कहा—हां-हां देख लिजिए बहु बनने वाली है। घर रौशन कर देगी। ठेकेदार साहब उभरी हंसी हंसते हुए बोले—सो तो ठीक ही है। और जब रमेश को पसन्द है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। शादी तो इसी को करना है। बी०डी०ओ० साहब ने कहा कितने उंचे विचार हैं आपके। आप जैसे लोगों के द्वारा ही तो इस भयानक रोग पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। रमेश ने आपका नाक उंचा कर दिया। जबकि ठेकेदार साहब सोच रहे थे कि रमेश ने मेरी जेब कटवा दी है। केवल हां में हां मिलाते रहे। लेकिन एक बात ठेकेदार साहब याद रखियेगा।

—वो क्या?

शादी में हमें मत भूल जाइएगा।

—अरे-अरे आप भी कहीं भुलाए जा सकते हैं।

—तो चलिए आप दोनों समधी हाथ मिलाइए।

ठेकेदार साहब ने हाथ आगे किया तो भोला ने हाथ जोड़ लिए। सभा समाप्त हुई। भीड़ छटने लगी। ठेकेदार साहब अपने बेटे के साथ बग्घी पर बैठे। भोला धीरे-धीरे उनके पास आया और बोला

ठेकेदार साहब। कोई शुभ तिथि देख कर भेज दीजिएगा ताकि ये दोनों लगन में बंध जाएं। ठेकेदार साहब मुंह पिचकाते बोले—ठीक है—ठीक है। बग्घी चल पड़ी। भोला का दिल धड़का क्योंकि ठेकेदार साहब की आवाज से कुटिलता की बू आ रही थी।

तीसरे दिन एक आदमी भोला के द्वार पर पहुंच गया। भोला ने खाट से उठते हुए पूछा—किसको खोज रहे हैं आप?

—मैं ठेकेदार साहब का आदमी हूं। उन्होंने ये चिट्ठी आपको देने को—दी है। अरे-ठेकेदार साहब के आदमी हैं बैठिए बैठिए—नहीं-नहीं मुझे एक जरूरी काम है। यह चिट्ठी लिजिए और जल्दी इसका उत्तर भेज दीजिएगा। वह चला गया।

भोला चिट्ठी पढ़ने लगा—"भोला तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी हैसियत मेरे घर शादी करने की नहीं है। किन्तु अपने मूर्ख बेटे और बी०डी०ओ० साहब के सामने कहे जुबान के लिए मैं यह शादी की तारीख तुम्हारे पास भेज रहा हूं। सब से पहले यह जान लो तब दिन के बारे में विचार करना कि तुमको किसी तरह 15 हजार रुपया दहेज में देना होगा, यदि तुम दहेज नहीं देते हो तो शादी नहीं होगी, अगर होगी भी तो बेटी नौकरानी बनकर ही मेरे घर में रहेगी। और हां एक बात और याद रखना कि यह बात तुम्हारे सिवा किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बेटी को भी नहीं।" पढ़ते-पढ़ते भोला का सर चकराने लगा। वह वहीं खाट पर धम्म से बैठ गया। उसके मस्तिष्क में 15 हजार आकर जोर-जोर से टकराने लगा। वह देना नहीं चाहता ऐसी बात नहीं, पर दे तो कहां से। तब तक उसकी पत्नी अन्दर से निकल कर बोली। कौन आया था जी? क्या बात है? आप क्यों इतने उदास हैं? —भोला बनावटी हंसी—हंसते हुए बोला, ठेकेदार साहब का आदमी थी। शादी का दिन लेकर आया था। —ओ अब समझी कि आप क्यों इतने उदास हैं। —आप बेटी के लिए उदास हैं। —हां अब खेत से आने पर कौन पानी देगा। हम दोनों शरीर के लिए वही तो एक प्राण थी। मां का ममत्व उमड़ पड़ा, वह आंख पोंछती अन्दर चली गई। भोला खाट पर पड़ा सोचने लगा। आखिर कहां से दूंगा पन्द्रह हजार? उन्हीं के लड़के ने तो कहा था कि बिना दहेज की शादी करुंगा। फिर यह मांग क्यों? क्या चलकर पूंछू रमेश से। नहीं—नहीं यह दोनों बाप बेटे की चाल है। ये द्विजिभा हैं। कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ। उस समय तो बन गये समाज सुधारक। अब अपनी खाल उतार रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सारा—भंडाफोड़ करुंगा। नहीं होगी शादी तो नहीं हो। मैं इन ढ़ोंगियों का ढ़ोंग खोलकर ही रहूंगा। तब तक रूपा (भोला की लड़की) अन्दर से पुकारी—बाबू ऐं बाबू

ऐ क्या हैं रे रूपा?

—तुम कहां खो गये हो कब से बुला रही हूं।

—क्या बात है?

—मां कह रही है साह जी के यहां जाने को।

—वह क्यों?

—कह रही है कि जाकर कुछ पैसे इंतजाम कर लो।

—पैसे! क्या होगा?

अब मैं क्या जानू? तुम्ही जाकर पूछ लेना। कहती हुई वह शर्म से अन्दर भाग गई। वो अब समझा। मैं भी कितना भोला हूं। कितनी खुश दिखाई दे रही थी रूपा। शायद इसकी मां ने इसे बता दिया है। यह क्या जाने अभागन कि जिस सपने को लेकर यह खुश है? वह मात्र सपना था। सपने कभी सच नहीं होते। भोला को एकाएक झटका लगा। क्या इसकी शादी नहीं होगी? उसका कलेजा मुंह को आ गया। इसकी शादी नहीं होगी। क्या गुजरेगा इसके दिल पर? हो सकता है—आत्महत्या करे। बड़ी भावुक लड़की है। क्षण-भर में उसके सामने रूपा की लाश रस्सी में टंगी दिखाई देने लगी। यही तो किया था पुरोहित की बिटिया ने। एकाएक वह चीख पड़ा नहींss। उसकी चीख लौटकर उसके पास आयी, उसे कोई सुनने वाला नहीं था। उसने निश्चय कर लिया। भयानक निश्चय। वह जरूर करेगा रूपा की शादी। भगवान गरीब को बेटी भी तो इसीलिए देते हैं कि वह कंगाल हो जाए। भोला अब शान्त हो गया। वह शान्ति तूफान आने के पहले वाली शान्ति। वह जड़ चेतन से निरपेक्ष सा हो गया। लोगों ने सोचा बेटी वियोग का दु:ख है। बरात आयी। भोला ने जम कर स्वागत भी किया, किन्तु रमेश तथा ठेकेदार साहब से एक भी शब्द नहीं बोला। रूपा जाने लगी, डोली में चढ़ने के समय पिता के पास आयी। उसकी आंखों से एक बूंद आसूं नहीं गिरे। दूसरे तड़के पुलिस भोला के द्वार पर पहुंच गई। तब गांव के मुखिया तथा अन्य लोग भी इकट्ठे हो गये।

—क्या बात है हजूर? क्यों पकड़े हैं?

मुखिया जी ने पूछा!

—इसने खून किया है।

—खून। किसका?

शहर के एक सेठ की हत्याकर उसकी अटैची लेकर भाग आया है। लोगों ने देखा, भोला हंस रहा था। दरोगा जी भोला को लेकर चलने लगे। लोगों में कानाफूंसी होने लगी, कोई कह रहा था, भैया ईमान धर्म सब मर गया है।

—भोला ने मुड़कर पीछे देखा और बोला।

—हां-हां मरे क्यों नहीं? जब मैं ही मर गया तो ईमान धर्म क्यों न मरे? आप लोगों ने इसीलिए तो लड़कों? का बाजार लगाया है कि गरीब चोरी करे, आफिसर घूस खोरी करे, लड़की वाले कुकर्म करें और लड़के वाले गुलछर्रे उड़ायें। तिसपर समाज सुधार का ढोंग करते हैं। कभी इन ढोंगियों के फेरे में मत आना। ये दो जीभ वाले होते हैं। मैं तो उसी दिन मर गया, जिस दिन द्विजिभा ठेकेदार ने मुझे डंसा था। दरोगा जी तो केवल मेरी लाश ले जा रहे हैं। दरोगा ने इशारा किया, जीप चल पड़ी। सब लोग भोंचक्के से रह गए। □

सौंढ़ा नेवाजी टोला
पो०-सौंढ़ा
जिला-छपरा, (बिहार)-841301

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मासिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

गुजरात, राजस्थान, लक्षद्वीप, गोवा-दमण व दीव, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों को 931.17 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मुक्त की गई हैं।

अतिरिक्त गेहूँ के आबंटन के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया कि वे उन्हें आबंटित गेहूँ की अतिरिक्त मात्रा के लिए अपनी मंजूरी की सूचना दें। मंजूरी की सूचना अब तक 16 राज्यों से प्राप्त हुई है और उन्हें 4,49,850 मीट्रीक टन गेहूँ मुक्त किया गया है।

गेहूँ की अतिरिक्त मात्रा को संभालने और उसकी ढुलाई के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए इन 16 राज्यों को 899.70 लाख रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता भी मुक्त की गई।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में क्रियानवयन हेतु इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 7179.57 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली सात आवास परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति की बैठक 28 नवम्बर, 1985 को हुई थी जिसमें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की 30 परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार किया गया।

सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम

सूखा-संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों को 30.00 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किया गया था।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान राज्य को 188.57 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किया गया था।

"शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वानिकी और चारागाह विकास पर एक संगोष्ठी 18 से 20 नवम्बर, 1985 तक आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर नामक स्थान में हुई थी।

प्रशिक्षण

निम्नलिखित संगोष्ठियों/पाठ्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में आयोजित किए गए थे:—

1. कारीगरों के विकास के मानवीय और संस्थागत पहलुओं पर संगोष्ठी।

2. कृषि और ग्रामीण विकास की नीति आयोजना एवं विश्लेषण पर पाठ्यक्रम।

जन-सहयोग

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि के नियमों और विनिमयों को निधि की प्रबन्ध समिति ने अनुमोदित एवं स्वीकार कर लिया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य-मंत्रियों का एक सम्मेलन कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में 29 व 30 नवम्बर, 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की नीति और क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई थी, खासतौर से कार्यक्रम बनाने तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में चर्चा हुई। सम्मेलन के समक्ष एक मद यह रखी गई थी कि वर्तमान पूंजी उपदान के स्थान पर ब्याज उपदान को रखा जाए, ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। इस विषय पर दो अध्ययन भी परिचालित किए गए थे, एक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तथा दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा। सम्मेलन इस बात पर एक मत था, कि ब्याज उपदान से भ्रष्टाचार स्वयं घट नहीं सकता। दूसरी तरफ इससे अधिक प्रशासनिक और लेखा-संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होंगी तथा इससे कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सम्मेलन ने सिफारिश की कि पूंजी निवेश की वर्तमान पद्धति को जारी रखा जाए।

सम्मेलन में यह भी इच्छा व्यक्त की गई थी कि यदि 1994-95 के अन्त तक गरीबी की रेखा को 10 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आबंटन को बढ़ाया जाए।

2. 1985-86 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 मिलियन परिवारों का लक्ष्य रखा गया है जिनमें 1 मिलियन परिवार नए तथा 3 मिलियन परिवार पुराने हैं। जिन पुराने लाभार्थियों को छठी योजना में सहायता दी गई थी, किन्तु जो बिना अपनी गलती के गरीबों की रेखा को पार नहीं कर सके, उन्हें घर-घर के सर्वेक्षण के आधार पर सहायता दी जानी है। चूंकि अनेक राज्य सरकारों ने यह सूचना दी है कि पूरक सहायता के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या लक्ष्य से बहुत कम है, इसलिए इन लक्ष्यों की समीक्षा की जा रही है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जा रही है। अब तक 16 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की समीक्षा की गई है।

3. उत्तर प्रदेश की राज्य-स्तरीय समन्वय समिति की बैठक 18 नवम्बर, 1985 को हुई थी, ताकि उस राज्य के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

4. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्तूबर, 1985 तक 9.18 लाख लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इनमें से 3.98 लाख अर्थात् 43.36% लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। 1985-86 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए सहायक अनुदान के केन्द्रीय अंश के रूप में 28.11.85 तक 10286.29 लाख रुपये की राशि मुक्त की गई थी 1985-86 के दौरान अक्तूबर, 1985 तक 125.51 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था तथा 197.32 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण वितरित किया गया था। □

पुस्तक समीक्षा

राजस्थान में राज्य प्रशासन:
सम्पादक: चन्द्रमौलि सिंह, अशोक शर्मा, सुरेश गोयल
प्रकाशक: इन्डियन सोसाइटी फॉर पब्लिक अफेयर्स, लाल भवन, बरकत नगर, जयपुर-302015, मूल्य: 140 रु०, पृष्ठ: 568

"लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान संकाय का नव विकसित पुष्प है। नया विज्ञान होने के कारण इसमें शोध ग्रन्थों, सन्दर्भ ग्रन्थों व अन्य पठनीय सामग्री का विशेषकर हिन्दी में, अभाव स्वाभाविक है।' आधुनिक भारत में विकास जनित परिवर्तनों में उभरती हुई जन चेतना की अभिव्यक्ति में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा है।" इस अभाव की पूर्ति के लिए 'इन्डियन सोसाइटी फार पब्लिक अफेयर्स' का हिन्दी में लोक प्रशासन से सम्बन्धित पुस्तकों के प्रकाशन की योजना हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक शुभ स्वप्न का सत्य होना जैसी बात है।

लोक प्रशासन का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए न केवल परीक्षोपयोगी है बल्कि व्यावहारिक रूप से भी उपयोगी है। आज का विद्यार्थी कल देश का कर्णधार बनेगा। अतः उसके लिए आवश्यक है कि उसे लोक प्रशासन का ज्ञान हो।

'राजस्थान में राज्य प्रशासन' पुस्तक में राजस्थान में राज्य, एवं स्थानीय स्तर पर प्रशासन की सम्पूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

इस पुस्तक को पांच खण्डों—सामान्य पृष्ठभूमि, संगठन और कार्यकरण, कार्मिक प्रशासन, जिला एवं स्थानीय प्रशासन, विविध पहलू में, विभाजित करके विषयानुसार 39 अध्यायों द्वारा विवेचना की गई है। यह खण्डों एवं अध्यायों का विभाजन जहां पुस्तक के प्रस्तुतिकरण में सुविधाजनक रहा है, वहीं विद्यार्थियों एवं अन्य पाठकों को पुस्तक की विषय वस्तु समझने में मदद करेगा। पुस्तक की भाषा सरल एवं ग्राह्य है।

पुस्तक के पठन से संपादकगण और लेखक गण की लोक प्रशासन विषयक अपनी विद्वता तथा सुविज्ञता पूर्णतया परिलक्षित होती है।

लोक प्रशासन के बदलते हुए स्वरूप की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस सामग्री का समायोजन इस प्रकार किया गया है कि यह पुस्तक स्नातक स्तर एवं आनर्स स्तर के विद्यार्थियों, जिनके लिए मुख्यतः प्रकाशित की गई है, के साथ साथ विश्वविद्यालय व कॉलेज शिक्षकों, राज्य प्रशासन के नीति निर्माताओं, निस्पादनकर्ता प्रशासकों, अनुसंधान कर्ता छात्रों व समाज विज्ञान में रुचि रखने वाले जागरूक नागरिकों की प्रस्तुत विषयों संबंधी ज्ञान-पिपासा को तृप्त करने में सक्षम हो सकेगी। □

राम सहाय मीना

एफ-64, पाकेट I
मयूर विहार
दिल्ली-91

कांकेर क्षेत्र में उद्यानीकरण

सफलता मिली और दिलचस्पी बढ़ी

जिला बस्तर में आदिवासियों के विकास के लिए कांकेर में उद्यान परियोजना का शुभ आरंभ वर्ष 82-83 से किया गया, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण अंचल में विभिन्न प्रकार के फलों का उद्यान लगाया जाय जिससे आदिवासी कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। परियोजना को क्रियन्वित करने के लिये शासन ने परियोजना अधिकारी (उद्यान) कांकेर में पदस्थ किया। इस परियोजना का कार्य क्षेत्र विकास खण्ड कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंदल में निर्धारित किया गया है।

उद्यान परियोजना के प्रथम वर्ष में कृषकों में अधिक जागृति न होने के कारण इस उद्यान विकास कार्य में विशेष प्रगति नहीं हुई फिर भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए जैसे सामुदायिक उद्यान रोपण योजना के अन्तर्गत कृषक की निजी पड़ती भूमि एवं शासकीय भूमि में एक चक में काजू फल का उद्यान 189 एकड़ और अमरूद फल उद्यान 32 एकड़ में रोपित किया गया। इसी तरह से सिचाई कुओं के आसपास फल पौध रोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को 2513 फल पौध और आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत 13005 फलदार पौध निःशुल्क विरित किया गया और 61 किलो साग-सब्जी बीज का कृषकों को वितरण किया गया।

वर्ष 83-84 में ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों ने उद्यान रोपण के प्रति कुछ अपनी रुचि को जाहिर किया। इस वर्ष एक चक में काजू उद्यान का 236 एकड़ में, अमरूद उद्यान 213 एकड़ में और मिश्रित उद्यान 25 एकड़ में रोपण किया गया। इसी वर्ष राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत नारियल उद्यान एकड़ में रोपित किया गया और कृषकों को 75% अनुदान पर 11000 नारियल पौध का वितरण किया गया। सब्जी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को 80 किलो सब्जी बीज का वितरण किया गया। इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में देशी बेर, आम एवं आंवाला को उन्नत किस्मों में बदलने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया जिससे 2669 पौधों पर बडिंग एवं ग्रेफ्टिंग का कार्य प्रशिक्षित मालियों के द्वारा किया गया और आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत 7720 फलपौध तथा सिचाई कुआं के आसपास पौध रोपण के अन्तर्गत 2320 फलदार पौध कृषकों को निःशुल्क दी गई।

उद्यान विकास योजना की सफलता को देखते हुए कृषकों ने वर्ष 84-85 में विशेष दिलचस्पी ली। इस वर्ष एक चक में काजू का बगीचा 859 एकड़, अमरूद 37 एकड़ और मिश्रित उद्यान 217 एकड़ लगाया गया। विभागीय अनुदान योजना के अन्तर्गत कृषकों ने स्वयं 14 एकड़ में उद्यान का रोपण किया। नारियल उद्यान का 17 एकड़ में रोपण करने पर कोकोनट बोर्ड कोचीन ने इनको 3 हजार रुपये प्रति है० की दर से अनुदान की राशि प्रदान की है। इस वर्ष कृषक को 75% अनुदान पर 9023 नारियल पौध प्रदान की गई है। इसी प्रकार सब्जी विकास योजना के तहत् 16 किलो बीज का वितरण कृषकों को किया गया। आंगनबाड़ी और सिंचाई कुंआ के आसपास फलदार पौध रोपण कार्यक्रम के तहत् कृषकों को 4120 पौध निःशुल्क प्रदान की गई। 5164 पौधों में बडिंग एवं ग्रेप्टिंग की गई।

वर्ष 85-86 में अभी तक एक चक में काजू का 708 एकड़, अमरूद का 246 एकड़ में बगीचा लगाया जा चुका है। कृषकों द्वारा 9.50 एकड़ में नारियल उद्यान रोपण किया गया जिसकी अनुदान की राशि कोकोनट बोर्ड कोचीन के द्वारा दी जाएगी और 12 एकड़ में जो और नारियल उद्यान का रोपण किया गया उसके अनुदान की राशि विभाग द्वारा दी जाएगी।

कृषकों को 75% अनुदान पर 8980 नारियल पौध उपल[illegible] की गई। इसी प्रकार आंगनबाड़ी और पौध रोपण कार्य[illegible] के तहत 19845 फल पौध निःशुल्क वितरण की गई [illegible] अभी तक ग्रामीण अंचल में स्थित देशी आम, बेर, आंवला [illegible] 1826 बडिंग एवं ग्रेफ्टिंग का कार्य किया गया है। □

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का नवीनीकरण

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में वर्ष 1994-95 तक 10 प्रतिशत की कमी लाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समय-समय पर शुरू किए गए विभिन्न गरीबी उन्मूलन और रोजगार जुटाने वाले कार्यक्रमों का नवीनीकरण किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में भी इस लक्ष्य का उल्लेख किया गया है।

वर्ष 1985 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को और अधिक सुचारु बनाने के लिए कई नये उपाय किए गए। इन उपायों में प्रति परिवार और अधिक धन सहायता (6 हजार रुपये तक) और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले उन परिवारों को, जो गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पा रहे हैं, को पूरक सहायता प्रदान करना शामिल है। इन उपायों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या 30 प्रतिशत तक बढ़ाना और इससे लाभान्वित करने वालों के चयन का नया तरीका अपनाना भी शामिल है। वर्ष 1985 (जनवरी-अक्तूबर, 1985) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख 10 हजार परिवारों को सहायता प्रदान की गई जिनमें से 44.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार थे। इस दौरान इन कार्यक्रमों पर 322 करोड़ 89 लाख रुपये व्यय किए गए है।

वर्ष 1985 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और भूमिहीनों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत गत वर्ष 2640 लाख 22 हजार श्रम दिवसों के मुकाबले 2656 लाख 60 हजार श्रम दिवसों के बराबर जुटाया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 1980 के दौरान गत वर्ष के 1,29,142 मी० टन अनाज के मुकाबले 1,146,956 मी० टन अनाज उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार इस वर्ष, गत वर्ष के 409 करोड़ 8 लाख रुपये के मुकाबले इन कार्यक्रमों पर 439 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

भूमिहीनों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 2580.90 लाख श्रम दिवसों के बराबर रोजगार जुटाया गया। इस कार्यक्रम पर इस वर्ष 403 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय किये गये और 1,01,270 मी०. टन अनाज को उपयोग में लाया गया।

अपना रोजगार धन्धा करने के लिए 18-35 आयु वर्ष के ग्रामीण युवकों की सहायता के लिए वर्ष 1978 में राष्ट्रव्यापी स्तर पर ट्राइसेम (स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण) योजना चलाई गई थी। ग्रामीण युवकों को आवश्यक कुशलता एवं तकनीकी जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना के तहत वर्ष 1985-86 में 2 लाख युवकों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नवम्बर 1985 तक 56,508 व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के तहत लाया जा चुका है। गरीबी की रेखा से नीचे की ग्रामीण महिलाओं को समूहों में संगठित कर उन्हें आय बढ़ाने के कार्य शुरू करने योग्य बनाने के लिए चलाई जा रही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी० डब्ल्यु० सी० आर०ए०) योजना ने 1985 में भारी प्रगति की है। सितम्बर, 1985 तक 1461 समूहों की तुलना में ऐसे 2274 समूह बनाये जा चुके थे। नवम्बर, 1955 तक 5 करोड़ 5 लाख रु० के वार्षिक परिव्यय की तुलना में केन्द्रीय और यूनियन हिस्से के रूप में क्रमशः एक करोड़ 45 लाख रु० और 50 लाख रु० दिये गए थे। ये उपलब्धियां सम्पूर्ण छठी योजना उपलब्धियों की तुलना में है। छठी योजना की पूर्ण अवधि में केवल 3308 समूह बनाए गए और 52 लाख 50 हजार रु० व्यय किया गया।

वर्ष 1985-86 के दौरान पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, मरुस्थल बनने की प्रक्रिया रोकने और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए०पी०) तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी०पी०डी०) जैसे कई विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए। वर्ष 1985-36 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित कुल 16 करोड़ रु० की आबंटित राशि में से सितम्बर, 1985 तक 12 करोड़ 68 लाख रु० खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 1985-86 में सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम के लिए निर्धारित कुल 78 करोड़ 30 लाख रुपये के परिव्यय में से इस अवधि तक 54 करोड़ 25 लाख रु० किए गए थे।

हाल में ही ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजना को ग्रामीण विकास विभाग के तहत लाया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेय जल सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1985-86 के लिए 31,370 गांवों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसमें से नवम्बर, 1985 तक 17,128 गांवों तक यह सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है। वर्ष के लिए प्राप्त 298 करोड़ 83 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता में से 167 करोड़ एक लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

नवम्बर, 1985 में "गरीबी हटाओं कार्यक्रम के लाभार्थियों का संगठन" नामक एक नई केन्द्रीय योजना दो वर्ष के लिए शुरू की गई है। इस पर दो करोड़ रुपये की लागत आएगी। □

उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम

वेद प्रकाश गुप्त

उत्तर प्रदेश के लघु एवं सिमांत कृषकों के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश ने निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम वर्ष 84-85 के माह जनवरी से प्रारम्भ किया है। यह कार्यक्रम केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत लिया गया है। प्रदेश के पर्वतीय जनपदों एवं ललित पुर जनपद को छोड़ कर पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विशेष कर उन क्षेत्रों में जहां नलकूप-पम्पसैट की स्थापना हेतु बोरिंग सामान्यतः सम्भव है एवं भूगर्भ जल उपलब्ध है। वर्ष 84-85 की शेष अवधि के लिए 8970 एवं वर्ष 85-86 के लिए 40,000 बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषकों का चयन

इस योजना में लाभान्वित होने वाले लघु/सीमान्त कृषकों का चयन निम्न आधार पर किया जाएगा।

(1) प्रस्तावित नलकूप/पम्पसैट से लगभग तीन हैक्टेयर भूमि की सिंचाई सम्भव होनी चाहिए।
(2) नलकूप एवं पम्पसैट की स्थापना यथा सम्भव प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र के मध्य में तथा ऊंचे स्थान पर की जायेगी।
(3) दो बोरिंग मय पम्पसैट/नलकूप के मध्य की दूरी नहरी समादेश के क्षेत्र के अन्तर्गत 150 मीटर तथा अन्य क्षेत्र में 180 मीटर होनी चाहिए।
(4) अनुसूचित जाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाय।
(5) सम्बन्धित कृषक पम्पसैट/नलकूप हेतु बैंक से ऋण लेने की क्षमता रखता हो तथा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आता हो, साथ ही उसकी आय कृषि के अतिरिक्त अन्य साधनों से 200 रुपये प्रति माह से अधिक न हो।
(6) कृषकों का चयन यथावत क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

अनुदान

वर्तमान अनुदान की दरें कम आकर्षक होने के कारण लघु एवं सीमांत कृषक उक्त योजना से पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे। शासन ने सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान योजना को अधिक आकर्षक बनाने एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से अनुदान की अनुमन्य दरों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उदार बनाने का निर्णय लिया है।

(1) जिन कृषकों की जोत एक एकड़ से ढ़ाई (2½) एकड़ तक है उनको 3,000 रु० सीमा तक निःशुल्क बोरिंग तथा पम्पसैट हेतु 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाय।
(2) 2½ एकड़ से अधिक तथा 5 एकड़ जोत वाले कृषकों के लिए 3,000 रु० की सीमा तक निःशुल्क बोरिंग तथा 33½ प्रतिशत की दर से पम्पसैट/नलकूप हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाय।
(3) जिन कृषकों की जोत एक एकड़ से कम है एवं एक से अधिक कृषकों को सम्मिलित रूप से जिनकी कुल जोत एक एकड़ से कम न रहे बोरिंग कराके पम्पसेट/नलकूप का संयुक्त प्रोजेक्ट लगाने पर निःशुल्क बोरिंग के साथ ही पम्पसैट/नलकूप पर 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जाय।

कार्यान्वयन

यह कार्य लघु सिंचाई विभाग की तकनीकी देख रेख में सर्वोच्च प्राथमिकता पर डिपाजिट कार्य के रूप में कराया जा रहा है जिस पर कोई सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा। बोरिंग का कार्य कृषक का ऋण स्वीकृत हो जाने पर ही किया जायेगा। यदि बोरिंग का व्यय 3,000 रुपये से अधिक होता है तो वास्तविक व्यय के आधार पर शेष धनराशित कृषक द्वारा वहन की जायेगी।

जनपद स्तर पर सहायक अभियंता लघु सिंचाई एवं खण्ड स्तर पर अवर अभियंता लघु सिंचाई इस कार्यक्रम के प्रति उत्तरदायी होंगे।

ऋण की व्यवस्था

इस कार्यक्रम को चलाने के लिए व्यावसायिक बैंकों एवं राज्य सहकारी भूमि विकाश बैंक की शाखाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पम्पसैट बोरिंग तथा डिलीवरी चैम्बर के लिए कृषक को कम से कम एक एकड़ भूमि बन्धक रखना होगा तथा नलकूप पम्प हाउस डिलीवरी चैम्बर के लिए दो एकड़ भूमि बन्धक रखना होगा।

यूनिट कास्ट, ऋण एवं वसूली की तालिका निम्न है।

	एक का मूल्य	ऋण	ऋण अदायगी
(1) पम्पसैट बोरिंग	7000/रु०	3500	नौ वार्षिक
व डिलीवरी चैम्बर सहित	7000/रु०	4700	इक्वैटेड
(2) नलकूप पम्प	9000/रु०	4500	इन्स्टालसैंट
हाउस चैम्बर सहित	9000/रु०	6000	तदैव

(शेष पृष्ठ 29 पर

"गुणकारी गाजर"

अभयकुमार जैन

गाजर अचार, सलाद, कांजी, हलवा और गजरेला बनाकर खायी जाती है। गाजर और गाजर की पत्तियां पशुओं का अच्छा चारा भी है। गाजर इतनी महत्वपूर्ण है जिसके गुणों का वर्णन करना भी सहज नहीं है। यह गुर्दे के रोग में बहुत ही लाभदायक है और पुरानी से पुरानी पेचिश में इससे काफी लाभ मिलता है। इसमें लोहे की मात्रा अन्य सब्जियों के मुकाबले अधिक होती है। इसके 100 ग्राम खाने योग्य पदार्थ से निम्न तत्व मिलते हैं:-

जल	86.0 ग्राम
प्रोटीन	0.9 ग्राम
वसा	0.2 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट	10.6 ग्राम
फासफोरस	३० मि.ग्रा.
कैलोरीज	47.0 मि.ग्रा.
केल्शियम	30 मि.ग्रा.
लोहा	2.2 मि.ग्रा.
विटामिन ए (इन्टरनेशनल यूनिट)	3150
विटामिन बी	0.04 मि.ग्रा.
विटामिन सी	3.0 मि.ग्रा.

– आधे सिर के दर्द होने पर गाजर के पत्तों का पानी गर्म करके नाक और कान में डालें।

– प्रतिदिन 125 ग्राम गाजर का रस प्रातःकाल पीने से 8-10 दिन में पेट के कीड़े निकल जाते हैं।

– गाजर के बीज एक तोला कूटकर 250 ग्राम पानी में उबाल लें पानी आधा रह जाय तो शक्कर मिलाकर दो-तीन दिन तक पिलायें, महावारी खुलकर आती है।

– गाजर में विटामिन "ए" की प्रचुरता रहती है। अतः इसके नियमित सेवन से आंखें स्वस्थ्य रहती हैं व नेत्र ज्योति बढ़ती है। जिन व्यक्तियों को रतौंधी की शिकायत हो उन्हें गाजर अधिक मात्रा में सेवन करनी चाहिए।

– गाजर में लोह तत्व की अधिकता रहती है। अतः यह रक्त को लालिमा प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में खून की कमी हो उन्हें जब गाजर उपलब्ध हो प्रतिदिन गाजर का रस पीना चाहिये, गाजर का रस खून बढ़ाने के साथ शरीर की समस्त भीतरी क्रियाओं को सामान्य करता है और अल्सर को दूर करता है!

– गाजर के प्रयोग से आंतों की सड़न तथा गंदगी दूर हो जाती है, अतः गाजर का प्रयोग अतिसार और आंव में भी लाभदायक है।

– गाजर के प्रयोग से गुर्दे में पथरी का निर्माण भी रुक जाता है।

– प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह पूरे मौसम में गाजर का नित्य सेवन करे ताकि शरीर को पौष्टिक तत्व प्राप्त हो सके। □

"तृप्ति" वन्दा रोड़,
भवानीमण्डी (राज.)

उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों.......

.....(पृष्ठ 28 का शेष)

नलकूप/पम्पसैट निर्माण का कार्य ऋण स्वीकृत होने के। (एक) वर्ष के अन्दर हो जाना आवश्यक है जिससे कि विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा एक वर्ष तक की भी छूट दी जा सकेगी।

बोरिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाले पाइप एवं अन्य समानों का स्पेसीफिकेसन मुख्य अभियंता लघु सिचाई उ०प्र० द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जिसने स्थानीय दरो इत्यादि के सम्बन्ध में समय समय पर निर्णय लिए जाते रहेगें।

आशा है कि इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के समस्त लघु एवं सीमान्त कृषकों के पास सिचाई का अपना निजी स्रोत उपलब्ध हो जायेगा। जिससे सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी एवं प्रति हैक्टेयर कृषि उत्पादकता में सुधार होगा। इस कार्यक्रम से गांवों में ही रोजगार का सृजन होगा जिसमें गांव से शहर की ओर उन्मुख हुए बेरोजगारें को अपने गांव में ही रोजगार मिल सकेगा। □

वेद प्रकाश गुप्त
सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग
वृत-झांसी

'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम'

विसंगतियां एवं निराकरण

—अवध बिहारी चौधरी

निर्धनता से लज्जा होती है, लज्जित मनुष्य तेजहीन हो जाता है, निस्तेज संसार से अपमानित होता है, जो विरक्त हो जाता है, विरक्त भाव शोक उत्पन्न करता है, शोकातुर होने से बुद्धि क्षीण हो जाती है, जो सर्वनाश की अवस्था उत्पन्न करती है। अहो—दरिद्रता ही सभी विपत्तियों की जननी है।

'शूद्रक' कृत 'मृच्छकटिकम्'

ऐसा प्रतीत होता है कि पंचम् पंचवर्षीय योजना के सूत्रकारों ने महाकवि शूद्रक की इन पंक्तियों से प्रेरित होकर, 'दरिद्रता हटाओ' अभियान का आह्वान किया था। इसी क्रम में केन्द्रीय सरकार ने 1978-79 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' का सृजन किया। इस का मुख्य उद्देश्य 'अत्यन्त विपन्न' परिवारों को समृद्धि की ओर ले जाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 'रोजगार के नये अवसर' उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम को राष्ट्र के सभी विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल 1980 से लेकर मार्च 1984 तक 125 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। यद्यपि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है तथापि इस योजना के पश्चात् देश की करीब 21 करोड़ जनसंख्या 'विपन्नता' की सीमा रेखा के नीचे ही रहेगी। अतः इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के समुचित प्रयास किए जाने चाहिए।

विसंगतियां

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सम्पूर्ण देश में लागू हुए करीब 6 वर्ष होने जा रहे हैं। इसका जो 'स्वरूप' एवं 'दृष्टिकोण' आज जनता की नजर में है, उसके सम्बन्ध में सरकार को अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। सरकारी अभिलेखों से उपलब्ध आंकड़े की समस्या का समाधान नहीं है, अपितु इन प्रयासों की "वास्तविक उपलब्धि" क्या है, में निहित है। क्या चयनित परिवारों को इस अभिशाप से मुक्ति प्राप्त हुई है। यदि ऐसा हो रहा है, तो यह कार्यक्रम अवश्य सफल हो रहा है।

(1) परिवारों का चयन

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जिन परिवारों का चयन किया जाता है, वह अपने आप से किसी भी व्यवसाय को चुनने में समर्थ नहीं होते हैं। उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय का अनुभव होता है। अधिकतर ऐसा होता है कि उन्हें रुचि के विरुद्ध व्यवसाय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाती है। अतः उनका व्यवसाय चल नहीं पाता।

परिवारों का चयन, ग्राम-प्रधान, सरपंच एवं विकास अधिकारी की समिति करती है। उन्हें गरीब से गरीब परिवारों का चयन करना होता है। परन्तु इस चयन प्रक्रिया का व्यावहारिक पक्ष, जातिवाद, भेदभाव निहित स्वार्थ जैसी जघन्य विसंगतियों का शिकार है। अतः वास्तविक दरिद्र परिवारों का चयन कम हो पाता है। चूंकि एक वर्ष में खण्ड विकास के 600 परिवारों को लाभान्वित कराना होता है और योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग अगणित हैं, अतः हिताधिकारियों का दोहन सम्यक रुपेण होता है। ऐसे भी परिवारों का चयन हो जाता है, जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक होती है, परन्तु प्रमाण पत्र उन्हें कम से कम का उपलब्ध हो जाता है।

(2) ऋणों की स्वीकृति

इस कार्यक्रम में ऋणों की स्वीकृति विकास कार्यालयों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों पर होती है। हालांकि यह आवेदन पत्र उन्हीं हिताधिकारियों के होते हैं जिनका नाम चयन सूची में होता है। परन्तु चयन सूची के क्रमानुसार आवेदन पत्र तैयार नहीं करवाए जाते हैं। जिन हिताधिकारियों के आवेदन पत्रों में ग्राम प्रधान, सरपंचों, विकास कर्मचारियों का निहित स्वार्थ होता है, उन्हें ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों में भेजा जाता है। अधिकतर आवेदन पत्रों में तकनीकी कमियां पाई जाती हैं। नो ड्यूज सर्टिफिकेट तथा परियोजना के प्रारूप प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न नहीं किए जाते हैं। अतः बैंक स्तर पर ऋण स्वीकृति में समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पाता।

(3) बैंकों में भ्रष्टाचार

इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की सार्वजनिक चर्चा है। आश्चर्य का विषय तो यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में केवल बैंकों पर आक्षेप लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बैंकों में भ्रष्टाचार नहीं है, परन्तु इसका आविर्भाव विकास कार्यक्रमों के बैंकों से सम्बद्ध होने के क्रम

में हुआ। जब तक विकास कर्मचारियों से कोई प्रयोजन नहीं था, बैंकों पर ऐसा आक्षेप नहीं था। चूंकि इस कार्यक्रम में बैंकों द्वारा ही वित्त पोषण करना है, अतः बैंकों के नाम पर ग्राम प्रधान विकास कर्मचारियों एवं अन्य प्रभावशाली दलाल प्रवृत्ति के लोग हिताधिकारियों का शोषण कर रहे हैं। यदि बैंक कर्मचारी उनके अनुसार काम नहीं करते हैं, तो यही निहित स्वार्थी लोग, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, वित्त मंत्रालय तक शिकायत करते हैं। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र होता है।

(4) ऋण-शिविर

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में 'ऋण शिविरों' की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इन 'ऋण शिविरों' की आड़ में जनता का शोषण ही होता है। 'शिविर' बहुत ही कम समय में कराये जाते हैं जिसमें अधिक से अधिक 'ऋण वितरण' करना होता है। आवेदन पत्र भी कुछ दिन पूर्व ही बैंकों को उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनकी संख्या 'लक्ष्य' के आस पास होती है। बैंकों के पास कम समय होता है। अतः वे सभी प्रार्थना पत्रों पर ऋण स्वीकृत कर देते हैं, जिसका लाभ निहित स्वार्थी तत्व हिताधिकारियों का शोषण करके प्राप्त करते हैं।

(5) ऋणों का दुरुपयोग

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त ऋणों का दुरुपयोग भी हो रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1984-85 में करीब 20% मामलों में ऋणों का दुरुपयोग किया गया है। कुछ मामलों में हिताधिकारियों ने सामान खरीदने के बाद पुनः बेच दिया। कुछ ने तो सम्बन्धित 'डीलर' से पैसा ही नकद ले लिया। कुछ मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों की मिलीभगत से अनुदान की राशि का समायोजन होने के बाद ऋणों का भुगतान कर दिया गया। कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने व्यक्तियों के नाम पर ऋणों का समुचित प्रयोग किया। भैंस जो उनके व्यक्ति के नाम पर दी गई है, वह उनके घर में दूध दे रही है। इस प्रकार ग्रामीण अंचलों में आई०आर०डी०पी० के नाम से लोग 'हास-परिहास' करने लगे हैं।

(6) सामानों का मूल्य

इस कार्यक्रम में ऋणों के नकद भुगतान की व्यवस्था 'कार्यशील' पुंजी के अतिरिक्त नहीं है। हिताधिकारियों को वांछित-वस्तु की पूर्ति डीलर द्वारा की जाती है। इन डीलर्स की नियुक्ति प्रशासन द्वारा की जाती है। इसकी सभी वस्तुओं का 'अनुमोदित मूल्य' होता है। यह मूल्य सदैव बाजार से बहुत अधिक होता है। यह मार्जिन अनुमोदन प्राधिकारी के विवेक का द्योतक होता है। किसी भी 'आइटम' का मूल्य हर जनपद में भिन्न-भिन्न होता है। जिस जनपद में वस्तुओं के मूल्य में मार्जिन नहीं होता वहां पर घटिया वस्तुओं की पूर्ति होती है। अतः हिताधिकारियों का सभी परिक्षेत्रों से शोषण किया जाता है।

(7) ऋणों की वसूली

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदत्त ऋणों की वसूली में न तो सरकार को कोई रुचि है और न जनपदीय प्रशासन को। जब भी बैंकों में मन्त्रीगण, उच्च बैंक अधिकारी अथवा जिला प्रशासन के अधिकारियों का पदार्पण होता है तो ऋण वितरण, शिविर आयोजन के सम्बन्ध में वार्तालाप होता है। ऋण वसूली के सन्दर्भ में सभी मूक रहते हैं। यदि ऋणों की वसूली नहीं होती है, तो अधिकारिक रूप से शाखा प्रबन्धक की कार्यक्षमता पर शक किया जाता है।

निराकरण

गतवर्षों के क्रियाकलापों से यह इंगित होता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपने उद्देश्य में अप्रभावी हो रहा है। यदि सरकारी आंकड़ों से इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करें, तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तो हो गई है, परन्तु वास्तव में इसका लाभ पूर्ण रूपेण विपन्न वर्ग को नहीं मिल रहा है। इन विसंगतियों के निवारण का समुचित प्रयास किया जाना चाहिए।

1. परिवारों के चयन की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र के हिताधिकारियों के चुनाव का उत्तरदायित्व केवल विकास खण्ड पर होना चाहिए। अन्य सभी पक्षों का हटाना आवश्यक है। साथ ही ऋण स्वीकृति, प्राप्ति और उपयोग संबंधी कारगर जांच की उच्चस्तरीय उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए।

2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुओं के मूल्य, बाजार मूल्यों से बहुत अधिक होते हैं। अतः इस सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर सभी जिलों के लिए एक मूल्य नीति निर्धारित करनी चाहिए। जहां तक सम्भव हो, केवल उत्तम कम्पनियों के उत्पादों को उपलब्ध कराया जाये।

3. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रचलित शिविर सभ्यता को अविलम्ब समाप्त करना होगा। एक ओर जहां बैंक विवेकपूर्ण निर्णय समयाभाव के कारण नहीं ले पाते, वहीं शिविरों का आयोजन अवैधानिक है। बैंक ऋण नितान्त गुप्त होते हैं। वे इन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं कर सकते। क्या कोई बैंक सम्पन्न घरानों को दिए गए ऋणों को इस प्रकार सार्वजनिक रूप से घोषित कर सकता है। यह निर्धनों की प्रतिष्ठा से परिहास है।

4. जनपदीय ग्रामीण विकास अभिकरण के बैंक द्वारा दिए गए ऋणों का भौतिक निरीक्षण करना चाहिए। यदि ऋणों का दुरुपयोग किया गया है तो सम्पूर्ण राशि तुरन्त वसूल करने के साथ साथ हिताधिकारी के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान करना चाहिए।

5. बैंकों को यह निर्देश होने चाहिए कि वे चयन सूची के क्रमानुसार हिताधिकारियों के आवेदन पत्र तैयार एवं ऋण उपलब्ध कराएं। ऋणों का भुगतान, फर्मों को "सामान" की आपूर्ति के बाद किया जाये। जब तक हिताधिकारी सन्तुष्ट न हों, फर्मों को भुगतान न किया जाये। यह सब समयबद्ध रूप से होना आवश्यक है। □

71-बी बख्शी कला,
दारागंज, इलाहाबाद

गुमराह दोस्तों के नाम

राम कुमार आत्रेय 'प्रभाकर'

पाप—
चाहे कर्म के नाम पर
किया गया हो
अथवा धर्म के नाम पर
आखिर पाप ही तो होता है,
ललाट पर लगा
कालिख का धब्बा
धब्बा ही कहलाएगा
तुम्हारे तर्क देने मात्र से ही
गरिमा-पंडित हो कर वह
चन्दन का तिलक नहीं बन जाएगा,
धर्म—
इन्सानों के द्वारा
इन्सानों के लिए
इन्सानों का बनाया
पवित्र नियमों का समूह होता है
जिसका निदेशक
शासन नहीं
खुद इन्सान का हृदय होता है,
धर्म—
आदमी को
पशुत्व के मार्ग से हटा कर
मनुष्यत्व के मार्ग पर
ले जाने वाला आलोक होता है
और आलोक की दृष्टि में
न कोई छोटा
न कोई बड़ा होता है,
फिर भी
कभी-कभी आदमी का हृदय
एक हिंसक पशु बन जाता है,
क्योंकि
धर्म के समत्व का सिद्धान्त
कुछ लोगों को
अनुकूल नहीं पड़ता है
क्योंकि इस तरह से
उनका खुद को बड़ा बनाने का
और दूसरों के सुखों
व अधिकारों को हड़प कर
खुद को और सुखी बनाने का
अवसर मारा जाता है,
और वे धर्म के आलोक को
अन्धकार में बदलने की
कोशिश में लग जाते हैं
जहां आदमी ही आदमी के
खून का प्यासा हो जाता है,
तुम—
इन्सानों की लाशों के ढेर पर
खड़े हो कर
कभी ऊंचे नहीं हो सकते, मेरे दोस्त
अपने ही निरीह भाइयों की
हत्या करने वालों को
इतिहास कभी महान नहीं बताएगा,
धर्म तो
निर्मल व मधुर जल का
एक शान्त सरोवर है
कि जिसका जल पीकर
कोई भी शान्ति व तृप्ति पा सकता है
कि जिसका अवगाहन कर
कोई भी देवता का पद पा सकता है,
मेरे गुमराह दोस्तो
सावधान!
इसमें साम्प्रदायिकता का विष
न मिलाओ
और इस प्रकार
औरों को मौत के मुंह से बचा कर
खुद को भी
कुत्ते की मौत मरने से बचाओ।

साहित्य कुटीर,
मु० पो० करोड़ा, जि० कुरुक्षेत्र
हरियाणा 132043

अपनी नाव

जयसिंह जब-जब समुद्र की अथाह-संपदा का दोहन करने जाता तो वह सोचा करता कि काश उसकी अपनी भी कोई नौका होती जिस पर सवार होकर वह विशाल समुद्र को चुनौती दे सकता। किन्तु खाली सोचने से क्या होता है। काफी अरसे तक हर रोज वह अपने जीवन को संकट में डालता—सिर्फ इसलिए कि वह 300 रु० प्रतिमाह कमा सके ताकि उसका परिवार भूखा न मरे। गुजरात के तिम्बी गांव में उसके जैसे और भी बहुत थे जो दिन-रात पसीना बहाते थे किन्तु लाभ मिलता था नाव-मालिकों को।

इसे संयोग ही कहिये कि वह संजन में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा आयोजित मछुआरों की एक सभा में जा पहुंचा। इसमें जयसिंह को एक देशी नौका खरीदने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए चुना गया। यूनियन बैंक आफ इंडिया की संजन शाखा में उसका मामला भेजा गया।

बैंक ने तत्काल उसे मछली पकड़ने की एक गैर-यंत्रीकृत नौका खरीदने के लिए 15,000 रु० का ऋण प्रदान किया। उसे कम दर पर ब्याज का लाभ भी प्रदान किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास

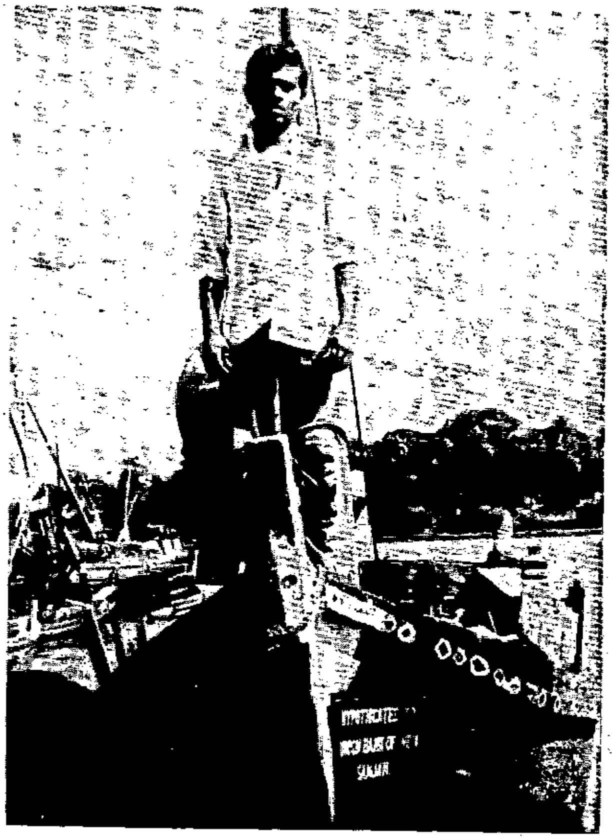

जयसिंह अपनी नाव में

कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें से 3,000 रु० की राशि अनुदान में बदल दी गई। बाकी धन राशि को सात वर्ष की अवधि में हर माह बराबर-बराबर किश्तों में अदा किया जाना था।

अब जयसिंह भयाला हर रोज बड़े गर्व से समुद्र में अपनी नौका चलाता है। उसकी आय तिगुने से भी अधिक हो गई है और उसने बैंक को 4,000 रु० लौटा भी दिये हैं। अब जब भी वह अपनी आंखों में विजय का भाव लिए अपनी नौका में सवार होता है तो उसके चेहरे पर चिंता की एक भी रेखा दिखाई नहीं देती।

समुद्र की लहरों का यह नया बादशाह तिम्बी गांव के उन 16 मछुआरों में से एक है जिन्होंने बैंक से इसी प्रकार की सहायता प्राप्त की है। □

आर०एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

सामाजिक वानिकी

देश के आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और वन-उत्पादनों की आपूर्ति की दृष्टि से वनों का अत्यधिक महत्व सर्वविदित है। अत: शताब्दी अंत तक देश के एक तिहाई भूगोलीय भाग को वृक्षाच्छादन के अधीन लाने का प्रयास जारी है। छठी योजना के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 पारित करने के प्रमुख उद्देश्य हैं: वन भूमि की गैर-वन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्ति को रोकना, नए वानिकी कार्यक्रम चलाना और पर्यावरण सुरक्षा निर्माण, ईंधन, चारा, घरेलू जरुरतों, ग्रामीण आवश्यकताओं तथा वन-आधारित छोटे व बड़े उद्योगों के मद्देनजर वर्तमान वनों का संरक्षण। छठी योजना में केन्द्रीय प्रस्तावित योजना बतौर ग्रामीण ईंधन वृक्ष संरक्षण सहित चलाए गए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अधीन सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली तथा मिजोरम के 101 जिले लाये गये। बाद में इसे 157 जिलों पर लागू किया गया। इसके तहत 2,60,000 हैक्टेयर ईंधन वृक्षारोपण और लगभग 5,800 लाख निशुल्क पौध वितरण लक्ष्य था। इसके मुकाबले 3,00,000 हैक्टेयर में वृक्षारोपण हुआ और 7,400 लाख पौधे वितरित हुए।

छठी योजना में 1,630 हजार के लक्ष्य के मुकाबले 1,655 हजार हैक्टेयर क्षेत्र सामाजिक वानिकी के अधीन आया। नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल हो जाने पर कार्यक्रम को विशेष बल मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य बड़े पैमाने पर वन्यकरण, सामाजिक वानिकी, खेत वृक्षारोपण तथा अन्य सभी संभव तरीकों से अधिकाधिक वन व वृक्ष लगाना है।

प्रति वर्ष 15 लाख हैक्टेयर ईंधन-वन लगाने और लोगों को 8,000 लाख पौधे वितरित किए जाने चाहिए। सातवीं योजना में देश के सभी ईंधन-लकड़ी अभाव वाले क्षेत्रों को सामाजिक वानिकी के तहत लाया जाएगा। जहां राज्यों में बड़े स्तर पर केन्द्रीय प्रस्तावित सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हैं उन्हें और बढ़ाया जाएगा। सामाजिक वानिकी के बारे में जन-जागरुकता को विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। □

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ए-104 मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित